Con. 3. 4.5.47
750

अंक 4
संख्या 5

शुक्रवार
18 जुलाई,
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद

के
वाद-विवाद
की
सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	परिचय-पत्रों की पेशी तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना	1
2.	अनुकरणीय प्रान्तीय विधान के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में रिपोर्ट	1
3.	परिशिष्ट . . .	50

भारतीय विधान-परिषद

शुक्रवार, 18 जुलाई सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक माननीय डा. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में विधान-भवन, दिल्ली में दिन के 3 बजे प्रारम्भ हुई।

परिचय-पत्रों की पेशी तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना

निम्नलिखित सदस्य ने अपना परिचय-पत्र पेश किया तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये।

डा. रघुनन्दन प्रसाद (बिहार : जनरल)।

अनुकरणीय प्रांतीय विधान के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में रिपोर्ट वाक्य खण्ड 8

***अध्यक्ष:** सभा अब वाक्य खंड 8 पर विचार करेगी जिसको कल छोड़ दिया था।

श्री एच.जे. खांडेकर (मध्य प्रांत और बरार : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, हमारे सी. पी. के एक मेम्बर गुरू आगमदास इस कांस्टीट्युऐंट असेम्बली के मेम्बर हैं। उनको अभी तक इस सेशन का नोटिस नहीं मिला है। इसका कारण यह है कि जो पता उनका लिस्ट में लिखा हुआ है वह गलत लिखा गया है। वे रायपुर जिले में रहते हैं मगर लिस्ट में विलासपुर जिला लिखा हुआ है। उनको अभी तक चिट्ठी नहीं मिली है।

मैं अध्सक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा कि अभी टेलीग्राम करके उनको इस मीटिंग का नोटिस देना चाहिये।

***सर बी.एल. मित्तर (बड़ोदा):** प्रांतीय विधान के वाक्य खंड 8 पर विचार करने के लिये आपने एक कमेटी नियुक्त की थी। कमेटी ने एकमत होकर रिपोर्ट पेश की है (परिशिष्ट), और उसने इस वाक्य खंड का फिर से इन शब्दों में मसविदा तैयार किया है:

''फेडरल गवर्नमेंट से मंजूरी लेकर कोई प्रांत किसी देशी रियासत से समझौते द्वारा किसी व्यवस्था सम्बन्धी, शासन सम्बन्धी या न्याय

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[सर बी.एल. मित्तर]

सम्बन्धी रियासत के कार्य को अपने हाथ में ले सकता है, बशर्ते कि उस समझौते में वह विषय हो जो कि प्रांतीय व्यवस्था संबंधी विषय-सूची या सहगामी व्यवस्था संबंधी विषय-सूची में शामिल हो।

ऐसा समझौता हो जाने पर उसकी शर्तों के अधीन प्रांत अपने उचित अधिकारियों द्वारा समझौते में दिये गये व्यवस्था, शासन या न्याय संबंधी कार्य को करा सकता है।''

श्रीमान् जी, इसकी व्याख्या में मैं कुछ शब्द कहूंगा। यह ठीक है कि प्रांतीय सरकार की शासन संबन्धी, न्याय सम्बन्धी या व्यवस्था सम्बन्धी किसी भी सत्ता का प्रांत की सीमा के बाहर विस्तार नहीं हो सकता, अर्थात् किसी प्रांत की अतिरिक्त प्रादेशिक सत्ता नहीं है। यह वाक्य खंड रियासत से समझौता हो जाने पर प्रांत को अतिरिक्त प्रादेशिक अधिकार प्रदान करता है। इसका कारण यह है: मान लीजिये कि प्रांत से मिली हुई एक बहुत पिछड़ी हुई रियासत के अधिकार में कुछ शासन सम्बन्धी या न्याय सम्बन्धी कार्य हैं, परन्तु उनको प्रयोग में लाने के या कार्यान्वित करने के साधन नहीं हैं। ऐसी दशा में वह रियासत पड़ोसी प्रांत से समझौता कर सकती है, जिससे कि दोनों के लाभ के लिये उस पिछड़ी हुई रियासत को निकटवर्ती प्रांत के साधन उपलब्ध हो सकें। लेकिन यह भी हो सकता है कि दो दलों का ऐसा समझौता किसी तीसरे प्रांत या रियासत द्वारा पक्षपातपूर्ण समझा जाये। ऐसे शक्य संकट से बचने के लिये ''फेडरल गवर्नमेंट से मंजूरी लेकर'' शब्द रखे गये हैं, जिससे कि फेडरल गवर्नमेंट समझौते की मंजूरी देने के पूर्व यह जान ले कि इस प्रांत और रियासत का यह समझौता है, और समझौता दोनों के लिये लाभदायक है तथा किसी के लिये हानिकारक नहीं है। इस मसविदे से प्रांत की सत्ता का क्षेत्र प्रादेशिक अधिकार-सीमा से अधिक हो जाता है। सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर द्वारा उठाई गई उन कुछ आपत्तियों के कारण जो कि जायज समझी गई थीं, मसविदे को फिर से तैयार करना आवश्यक हो गया। मुझे आशा है कि यह मसविदा समस्त स्पष्टताओं का निवारण करता है। अत: श्रीमान् जी, मैं इसे पेश करता हूं।

***अध्यक्ष:** क्या कोई व्यक्ति इस वाक्य खंड के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता है?

***सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर** (मद्रास: जनरल): मैंने एक संशोधन की सूचना दी थी।

***अध्यक्षः** श्री गुप्ते को संशोधन पेश करना है। सर अल्लादी! मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री बी.एम. गुप्ते (बंबई : जनरल): मैं यह निवेदन करता हूँ कि निम्न नये वाक्य खंड.....।

***अध्यक्षः** सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर! आप प्रस्ताव पर बोलना चाहते थे। मैंने समझा कि श्री गुप्ते का संशोधन होगा, पर उनका तो एकदम नया प्रस्ताव है।

***सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यरः** अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का समर्थन करते हुए मैं इस समय कुछ विचार पेश करना चाहता हूँ। वास्तव में इन्हीं बातों के कारण मैंने संशोधन की सूचना दी थी। हाउस द्वारा नियुक्त की गई कमेटी ने कुछ परिवर्तन करके उस संशोधन को वस्तुतः स्वीकार कर लिया था। परिवर्तन यह था कि केन्द्रीय सरकार की मंजूरी ले लेनी चाहिये। जैसा कि इस हाउस को विदित है, भारतवर्ष में ऐसी छोटी-मोटी अनेकों रियासतें हैं जिनके लिये शासन-सम्बन्धी या न्याय-सम्बन्धी कुछ अधिकारों का प्रयोग करना कठिन होगा। इसलिये कम खर्च तथा अच्छा प्रबन्ध दोनों का विचार रखते हुए यही व्यवस्था उचित और ठीक होगी कि निकटवर्ती प्रांत उन रियासतों के शासन-सम्बन्धी और न्याय-सम्बन्धी कुछ अधिकारों को जिन पर दोनों में समझौता हो चुका हो, अपने हाथों में ले सकें, तथा ऐसे प्रबन्धों की कानूनी मंजूरी प्रांत दे सकें। तदनुसार वाक्य खंड में केवल उन्हीं अधिकारों को प्रयोग में लाने की व्यवस्था दी गई है जो प्रांतीय तथा दोनों ओर लागू सूची के अनुसार प्रांतों के अधीन हैं। कार्य के महत्व तथा भारतीय संघ और प्रांतों के संबंध का विचार करते हुये संघीय सरकार की मंजूरी प्राप्त करने की व्यवस्था रखी है। यह आशा की जाती है कि जब विधान पर अन्तिम निश्चय होगा तो यूनियन के विधान में भी फेडरेशन सरकार के लिये यह व्यवस्था रखी जायेगी कि यूनियन सरकार में आये हुए प्रदेशों अथवा उसके नियंत्रण में आने वाले प्रदेशों में उसी प्रकार की पूर्ण अधिकार सीमा को प्रयोग में लाया जाये जैसी कि ब्रिटिश क्राउन की एजेन्सी द्वारा विदेशी ब्रिटिश अधिकार-सीमा के एक्ट के अनुसार प्रयोग में लाई जाती थी। जो व्यवस्था अब रखी जा रही है वह वास्तव में किसी ऐसी सामान्य व्यवस्था के बनाने के पक्षपात से परे है।

[सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर]

श्रीमान् जी, मैं यह बता दूं कि कुछ क्षेत्रों में ऐसे भी सुझाव पेश किये गये हैं कि उन प्रांतों के लिये भी व्यवस्था बनाई जाये जो रियासतों की अधिकार-सीमा से पृथक हो रहे हैं। हमारा रियासतों के विधान से कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन जब रियासतें संघ में आ जायेंगी, जिसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, उस समय किसी पृथक क्षेत्र के सम्बन्ध में यह विधान-परिषद किसी ऐसे सुझाव पर उचित विचार करेगी और जो रियासतें इस प्रकार के दायित्व को संभाल सकती हैं उनको किसी पृथक क्षेत्र की अधिकार-सीमा सौंपने पर गौर करेगी।

इन शब्दों में मैं अपने माननीय मित्र सर बी.एल. मित्तर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***श्री ए.पी. पट्टान्नी** (पश्चिमी भारत की रियासतों का ग्रुप): अध्यक्ष महोदय, जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे मैं उसे स्पष्ट न सुन सका लेकिन मैंने उनकी बात से यह समझा कि ब्रिटिश भारत प्रदेश से वे पृथक क्षेत्र जो कि रियासतों के अन्तर्गत आते हैं उसी प्रकार केन्द्रीय सरकार की आज्ञा से देशी रियासतों की अधिकार-सीमा के अन्तर्गत आ जायेंगे। यह सिर्फ इकतर्फा नहीं होना चाहिये। मैं विश्वास करता हूं कि निकट भविष्य में फेडरल विधान पर वाद-विवाद करते समय रियासतों के ग्रुपों के विधान के सम्बन्ध में कुछ न कुछ विचार होगा। इसके अतिरिक्त जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यदि कोई रियासत किसी प्रांत की ओर से इन अधिकारों का प्रयोग करने की क्षमता रखती है तो फेडरल अधिकारियों की सम्मति से वह रियासत उन अधिकारों को प्रांतीय सरकार से समझौते द्वारा प्राप्त कर सके।

***श्री बी.एल. मित्तर:** अध्यक्ष महोदय, आपने जो कमेटी नियुक्त की थी उसने प्रांत और रियासत में परस्पर प्रबन्ध के प्रश्न पर विचार किया था और कमेटी इस निश्चय पर पहुंची कि चूंकि वह प्रांतीय विधान पर विचार कर रही है अत: रियासतों की अधिकार-सीमा पर विचार करना असंगत होगा। यह निश्चय किया गया कि इस दशा में हम परस्पर प्रबन्ध के सम्बन्ध में कुछ भी न कहें। तब यह प्रश्न उठता है कि किस स्थिति तथा किस स्थान में यह परस्पर प्रबन्ध हो सकता है? इसके कई उत्तर हो सकते हैं। यदि किसी रियासत को उसकी मर्जी से किसी ऐसे क्षेत्र के, जो अब ब्रिटिश भारत के अन्तर्गत है, अतिरिक्त प्रादेशिक अधिकार दिये जाते हैं तो ऐसे ही वाक्य खंड के अनुसार अर्थात् यूनियन

सरकार की मर्जी से रियासत को प्रांत की अतिरिक्त प्रादेशिक अधिकार-सीमा में रखने का समझौता रियासत और प्रांत में हो सकता है। रियासत स्वयं अपनी धारासभा में ऐसा कानून बना सकती है। इस प्रश्न को छोड़ नहीं दिया गया था और मैं आशा करता हूं कि रियासत के लिये परस्पर प्रबन्ध करने की वैसी ही स्वीकृति यह हाउस देगा जैसी कि अब प्रांत के लिये मांगी जा रही है।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है:

''फेडरल गवर्नमेंट से मंजूरी लेकर कोई प्रांत किसी रियासत से समझौते द्वारा किसी व्यवस्था सम्बन्धी, शासन सम्बन्धी या न्याय सम्बन्धी रियासत के कार्य को अपने हाथ में ले सकता है, बशर्ते कि उस समझौते में वह विषय हो जो कि प्रांतीय व्यवस्था संबंधी विषय-सूची या (सहगामी) व्यवस्था संबंधी विषय-सूची में शामिल है।

ऐसा समझौता हो जाने पर उसकी शर्तों के अधीन प्रांत अपने उचित अधिकारियों द्वारा समझौते में दिये गये व्यवस्था सम्बन्धी, शासन-संबंधी या न्याय-सम्बन्धी कार्य कर सकता है।''

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

***श्री बी.एम. गुप्तेः** श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि फिर से मसविदा बनाने के लिये नियुक्त की गई तत्सम्बन्धी कमेटी ने जो वाक्य खंड 8 पेश किया है उसके पश्चात् निम्न नया वाक्य खंड रखा जाये:

''8(क) विधान की व्यवस्थाओं के अधीन तथा किसी विशेष समझौते के अधीन, जिसका उल्लेख वाक्यांश 8 में किया गया है, प्रत्येक प्रांत के शासन संबंधी अधिकार उन मामलों में लागू होंगे जिन पर प्रांतीय धारा-सभा को कानून बनाने का अधिकार है।''

तत्सम्बन्धी कमेटी ने, जो कि इस वाक्यांश का फिर से मसविदा बनाने के लिये नियुक्त की गई थी, अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और कमेटी के मसविदे को हमने वाक्य खण्ड 8 के रूप में अभी स्वीकार कर लिया है। मूल वाक्यखण्ड 8 में ''शासन सम्बन्धी अधिकारों'' का उल्लेख था। लेकिन दुर्भाग्यवश इस मसविदे में वह भाग नहीं है जो पहले मूलरूप में था। अतः मेरा यह संशोधन उस कमी को पूरी

[श्री बी.एम. गुप्ते]

करता है। जो मसविदा इस समय स्वीकार किया गया है वह केवल विशेष समझौते का उल्लेख करता है, और यह नया वाक्यखंड प्रांत के शासन सम्बन्धी अधिकार का समावेश करता है। मैं अपने संशोधन को स्वीकृति के लिये रखता हूं क्योंकि वह वास्तव में केवल उस कमी को पूरी करता है जो कमेटी को मान्य होगी और मुझे विश्वास है कि प्रस्तावक महोदय भी इसे स्वीकार करेंगें।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल** (बम्बई: जनरल): सर बी.एल. मित्तर द्वारा प्रेषित संशोधन को तथा श्री बी.एम. गुप्ते द्वारा पेश किये गये नये वाक्य खंड को मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि मूल वाक्य खंड में जिस समझौते का उल्लेख था उसका अब स्पष्टीकरण सर बी.एल. मित्तर के संशोधन द्वारा हुआ है। लेकिन मूल वाक्य खंड रहना चाहिये। इसलिये श्री गुप्ते ने यह प्रस्ताव पेश किया है। कि अतिरिक्त वाक्य खंड को सर बी.एल. मित्तर के संशोधन के पश्चात् रख दिया जाये। मैं श्री गुप्ते के नये वाक्य खंड के साथ सर बी.एल. मित्तर के संशोधन को स्वीकार करता हूं।

***अध्यक्ष:** क्या कोई व्यक्ति इस वाक्य खंड के उस संशोधन पर बोलना चाहता है जिसे श्री गुप्ते ने पेश किया है?

***श्री नजीरुद्दीन अहमद** (पश्चिम बंगाल: मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को आवश्यक नहीं समझता हूं। यदि आवश्यक समझा जाये तो इस विषय को प्रांतीय अथवा सहगामी व्यवस्था-सम्बन्धी विषय-सूची में सम्मिलित कर दिया जाये। इस व्यवस्था-सम्बन्धी विषय-सूची में यहीं तक व्यवस्था की जा सकती है कि व्यवस्था तथा शासनकार्य सम्बन्धी प्रांतीय अधिकार पूर्ण हों। यदि इसमें कोई कमी रह जाती है तो वह व्यवस्था सम्बन्धी सूचियों में संशोधन करने का विषय है। इस प्रकार के वाक्य-खंड को स्वीकार करने को मेरे तुच्छ निर्णय में कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हाउस के सामने केवल यही निवेदन करता हूं और इस पर ही विचार किया जाये कि यदि यह आवश्यक हो तो स्वीकार किया जाये तथा अनावश्यक हो तो पास न किया जाये।

***माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर** (मद्रास: जनरल): श्रीमान् जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी व्याख्या के लिये कुछ शब्दों की आवश्यकता है, विशेषकर पूर्व वक्ता द्वारा की गई टिप्पणियों के सिलसिले में उनका यह विचार प्रतीत होता है कि यह संशोधन जिसकी क्रम संख्या

8 (क) रखी गई है, अनावश्यक होगा। श्रीमान्, जी इसके विपरीत मैं यह कहूंगा कि वह अत्यावश्यक है, जिसका कारण यह है। इसमें संदेह नहीं कि विधान के अन्तर्गत हम फेडरेशन और प्रादेशिक इकाइयों के अधिकारों में भेद रखते हैं। परन्तु वे अधिकार केवल न्याय सम्बन्धी अधिकार हैं। न्याय संबंधी अधिकार केन्द्र तथा प्रादेशिक इकाइयों में बांटे गये हैं; लेकिन हमें प्रांत के शासन सम्बन्धी अधिकारों के क्षेत्र की भी व्याख्या करनी है। फेडरेशन के लिये भी हम व्याख्या करेंगे। जब तक हम यह न कहें कि यहां पर दी गई बातों के अतिरिक्त प्रांत के शासन-सम्बन्धी तथा न्याय-सम्बन्धी अधिकार समान रूप से लागू होंगे तब तक हम यह प्रकट नहीं कर सकते कि शासन सम्बन्धी कार्य कहां तक किये जा सकते हैं। श्रीमान् जी, इसलिये मैं समझता हूं कि संशोधन अत्यावश्यक है।

***सर बी.एल. मित्तरः** श्रीमान् जी, मैं समझता हूं कि कुछ सदस्यों की समझ में कुछ भ्रम है। जब मैंने यह कहा कि हमने इस वाक्य खंड का फिर से मसविदा बनाया है; तो वह मसविदा अधिकार-सीमा के अतिरिक्त प्रादेशिक भाग के सिलसिले में है। लेकिन मुख्य वाक्य खंड प्रांतीय अधिकार-सीमा को साधारण प्रादेशिक सीमा की व्याख्या करता है। विधान में कहीं न कहीं आपको यह बताना चाहिये कि किन विषयों पर अथवा किन प्रादेशिक सीमाओं के अन्तर्गत प्रांतीय सरकार को कार्य करना है। वाक्य खंड 8 में दिया हुआ है कि ''इस विधान की व्यवस्थाओं के अधीन तथा किसी विशेष समझौते के अधीन प्रत्येक प्रांत के शासन-सम्बन्धी अधिकार उन मामलों में लागू होंगे जिन पर धारा-सभा को कानून बनाने का अधिकार है''। हम जानते हैं कि सन् 1935 ई. एक्ट के अन्तर्गत प्रांतीय अधिकार-सीमा प्रांतीय विषय तथा सहगामी विषय तक सीमित है न कि फेडरल के विषय तक। यहां भी यह कहा गया है: 'जिन पर कि प्रांतीय धारासभा को कानून बनाने का अधिकार है'', अर्थात् वहीं तक जहां तक कि अधिकार-सीमा विषय का सम्बन्ध है। कुछ प्रादेशिक अधिकार-सीमा भी होनी चाहिये। यह कहा गया है कि शासन सम्बन्धी अधिकार का प्रादेशिक क्षेत्र न्याय-सम्बन्धी अधिकार के समान होगा। हमें प्रांतीय अधिकार-क्षेत्र की प्रादेशिक सीमायें और इसके साथ-साथ अधिकार-क्षेत्र के विषय रखने हैं। इसलिये यह आवश्यक है। मेरा पहला प्रस्ताव प्रांत की अतिरिक्त प्रादेशिक अधिकार सीमा के सम्बन्ध में था। अतः श्रीमान् जी, मैं निवेदन करता हूं कि वाक्य-खंड 8 का, जैसा कि छपा है, विधान में रखना जरूरी है।

***अध्यक्षः** मैं नहीं समझता कि जब वाक्य-खंड पर वोट ली गई थी उस समय सदस्यों के मन में कोई भ्रम था। मैं मानता हूं कि सर बी.एल. मित्तर का

[अध्यक्ष]

यह अभिप्राय है कि मूल रूप में वाक्य-खंड जिस प्रकार था वह वहां उसी प्रकार रहे और जो कुछ उन्होंने आज पेश किया है वह उसमें जोड़ दिया जाये। तीनों वाक्य-खंड रहेंगे।

श्री गुप्ते मूल वाक्य खंड 8 को फिर से रखना चाहते हैं। मैं समझ गया।

अभी गुप्ते ने जो वाक्य-खंड पेश किया है उस पर मैं वोट लेता हूं।

वाक्यांश 8(क) स्वीकार किया गया।

***अध्यक्षः** अब हम दूसरे परिच्छेद को लेंगे। हमने वाक्य-खंड 15 को छोड़ दिया था। क्या हम तैयार हैं?

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** जी नहीं।

***अध्यक्षः** तो हम दूसरे परिच्छेद के नियम 19 को लेंगे।

द्वितीय परिच्छेद – नियम 19

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** मैं प्रस्ताव रखता हूँ:

''19 (1) हर एक प्रान्त के लिये एक प्रान्तीय व्यवस्थापिका होगी और गवर्नर व लेजिस्लेटिव असेम्बली उसके अंग होंगे। निम्नलिखित प्रांतों में इसके अतिरिक्त एक लेजिस्लेटिव कौंसिल भी होगी।''

श्रीमान् जी, मैं यह सुझाव रखूंगा कि जहां तक ऊपर की सभा का सम्बन्ध है हमें प्रांतों के नेताओं से परामर्श करना है कि वे आपस में यह निर्णय करें कि किस-किस प्रांत में दूसरे चेम्बर की आवश्यकता है तथा आपसे निवेदन है कि आप प्रांतीय प्रधान मंत्रियों की एक कमेटी नियुक्त करें जो मीटिंग करे और हमें सूची दे जिससे कि उस सूची को यहां लगा दिया जाये।

''(2) लेजिस्लेटिव असेम्बली में विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होगा और जनसंख्या के हर लाख के लिये

एक प्रतिनिधि से अधिक नहीं होगा, लेकिन किसी भी प्रान्त की इस सभा में कम से कम 50 प्रतिनिधि होंगे।

लेजिस्लेटिव असम्बली का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, वयस्क वह व्यक्ति है जिसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो।

(3) प्रत्येक प्रान्त की प्रत्येक लेजिस्लेटिव असेम्बली यदि वह इसके पहले समाप्त न कर दी जाये तो अपने पहले अधिवेशन की निश्चित तिथि से चार वर्ष तक रहेगी।

(4) किसी प्रान्त में जहां कि व्यवस्थापिका की ऊपर की सभा हो वहां उस सभा की रचना निम्नलिखित प्रकार से होगी:

'(क) ऊपर की सभा की कुल सदस्य-संख्या नीचे की सभा की सदस्य-संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक न हो।

(ख) ऊपर की सभा में आयरिश विधान के आधार पर कुछ सीमा तक व्यवसायों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये।' वितरण निम्न लिखित प्रकार से होगा:

आधे आयरिश ढंग से व्यवसायों के प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जायेंगे; एक तिहाई नीचे की सभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जायेंगे;

छठा भाग मन्त्रियों की सलाह से गवर्नर द्वारा मनोनीत होगा।''

मैं इस वाक्य-खंड को हाउस की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं। हमने यह निश्चय कर लिया है कि प्रत्येक प्रान्त के लिये एक लेजिस्लेटिव असेम्बली होगी, और जहां कहीं द्विसभात्मक प्रणाली होगी उन प्रान्तों की सूची यहां लगा दी जायेगी। अभी जैसा कि आप सबको विदित है लगभग 5 या 6 प्रान्त हैं जिनमें केवल एक हाउस है जैसे उड़ीसा, पंजाब, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश। अन्य प्रान्तों में दो हाउस हैं। बंगाल और पंजाब प्रान्तों का अब विभाजन हो गया है। यह एक प्रश्न है कि छोटे प्रान्तों में या बंगाल में जबकि उसका विभाजन हो जायेगा हम ऊपर की सभा पसन्द करते हैं या नहीं? हमारा सम्बन्ध केवल पश्चिमी बंगाल से है। यह प्रतीत होता है कि वहां यूरोपियनों का विशाल प्रतिनिधित्व है जो कि 15 अगस्त से हट जायेगा।

विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के हर लाख के लिये एक प्रतिनिधि से अधिक न होगा। संभव है कि यह अनुपात कुछ

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

प्रान्तों में बढ़ाया जाये और जो प्रान्त छोटे हैं वहां इस अनुपात को कम किया जाये। इसलिये हमने एक कम से कम संख्या नियत कर दी है। अधिक से अधिक संख्या नियत करने का सुझाव पेश किया जा सकता है। चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। हमने इस विषय पर निर्णय भी कर लिया है और वयस्क की आयु 21 वर्ष नियत कर दी है। व्यवस्थापिका का जीवन चार वर्ष का होगा।

जहां ऊपर की सभा होगी वहां हमने आयरिश ढंग की रचना को ग्रहण किया है। कुल सदस्यों का कुछ अनुपात व्यवसायों के प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा; ऐसे प्रतिनिधित्व द्वारा आधे सदस्य हों। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर तिहाई सदस्य नीचे की सभा द्वारा चुने जायेंगे और छठवां भाग मंत्रियों की सलाह से गवर्नर द्वारा मनोनीत होगा।

मैं इस प्रस्ताव को हाउस की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

***अध्यक्ष:** मेरे पास अनेकों संशोधनों की सूचनायें आई हैं। मैं सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे एक-एक करके संशोधनों को पेश करें।

(सर्वश्री कक्कन तथा एच.जे. खांडेकर ने अपने संशोधन पेश नहीं किये।)

***मौलवी सैयद मुहम्मद सादुल्ला** (आसाम: मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि:

''वाक्य-खंड 19 के उपवाक्य-खंड (2) में 'लाख' शब्द की जगह 'दो लाख' शब्द रखे जायें, और

वाक्य-खंड 19 के उपवाक्य-खंड (2) में 'किसी प्रांत' शब्दों के पश्चात् 'और अधिक से अधिक 300' शब्द बढ़ा दिये जायें।''

मेरा पहला संशोधन तो उद्देश्य प्राप्त करने का साधन मात्र है और उद्देश्य है अधिक से अधिक संख्या नियत करना। रिपोर्ट में कम से कम संख्या का विचार रखा गया है। छोटे प्रान्तों में रिपोर्ट की सिफ़ारिश बहुत अच्छी तरह कार्यान्वित होगी; अर्थात नये विधान के अन्तर्गत हर लाख के लिये एक सदस्य का प्रतिनिधित्व होगा। लेकिन यदि हम इस सिद्धान्त को बड़े प्रान्तों में लागू करें तो व्यवस्थापिका संस्थायें, मेरी राय में, इतनी बड़ी और बेकाबू हो जायेंगी कि कार्य में विघ्न पड़ेगा।

उदाहरण के लिये घनी से घनी आबादी वाले प्रान्तों को लीजिये–संयुक्त प्रान्त–जिसकी आबादी सन् 1941 ई. की जनसंख्या के अनुसार 5½ करोड़ है। इस विधान के मसविदे में दी हुई सिफ़ारिश के अनुसार यदि हम हर एक लाख के लिये एक प्रतिनिधि रखें तो हाउस में 550 सदस्य हो जायेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक मर्दुमशुमारी में हिन्दुस्तान की आबादी औसतन 15 फीसदी बढ़ जाती है। इसलिये सन् 1951 ई. के बाद हमें इस बड़ी संख्या का 15 प्रतिशत और बढ़ाना होगा। दूसरे शब्दों में संयुक्त प्रान्त की प्रान्तीय असेम्बली में 600 से अधिक सदस्य होंगे। वही मद्रास प्रेसीडेंसी में होगा जिसकी इस समय 4,93,00,000 की आबादी है और जिसका हाउस 493 सदस्यों का होगा। यहां तक कि बिहार जिसकी आबादी 3,63,00,000 है, अपनी प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली में 363 सदस्य रखेगा। श्रीमान् जी, मेरी राय में यह बिलकुल ठीक-ठीक संख्यायें हैं। लगभग सभी व्यक्तियों को यह अनुभव है कि संस्था में जितने अधिक सदस्य होते हैं उतना ही कम सम्बन्धित दलों का हित हो जाता है। प्रान्तों की इन वैधानिक संस्थाओं को बड़ी अथवा बेकाबू न बनाये जाने के कारण मैंने यह प्रस्ताव पेश किया है कि एक बड़ी से बड़ी संख्या नियत की जानी चाहिये और वह संख्या 300 होनी चाहिये। सन् 1935 ई. के वर्तमान विधान में हमने इसी प्रकार के विघटन को मंजूर किया था, इसलिये मेरे इस सुझाव में कोई विलक्षण बात नहीं है। उदाहरण के लिये बंगाल में अभी कुछ समय पूर्व 250 सदस्यों का हाउस था, और उसकी जनसंख्या पिछली मर्दुमशुमारी में 6 करोड़ से भी अधिक थी। मद्रास में जिसमें अब 4,93,00,000 की जनसंख्या है, 216 सदस्यों का हाउस है, संयुक्त प्रान्त में 268 का और बिहार में 152 का।

इसी प्रश्न का एक और पहलू भी है। रिपोर्ट में अथवा यूनियन पार्लियामेंट के विधान के मसविदे में, जो कि इस असेम्बली के सामने आने वाला है, वाक्य-खंड 14 (1) (ग) इस प्रकार है:

> **''लोक-सभा (House of the People) में फ़ेडरेशन के अन्तर्गत प्रदेशों की जनता के प्रतिनिधि होंगे। अधिक से अधिक हर दस लाख की जनसंख्या के लिये एक प्रतिनिधि होगा और कम से कम हर 7,50,000 की आबादी के लिये एक प्रतिनिधि होगा।''**

भारतीय-विधान जो कि 30 करोड़ जनता के लिये कार्य करेगा, इस गणना के अनुसार कम से कम 300 और अधिक से अधिक 400 प्रतिनिधियों की

[मौलवी सैयद मुहम्मद सादुल्ला]

लोक-सभा (House of the People) बनायेगा। इस बात पर ज़ोर देना मेरे लिये अनावश्यक है कि यह राष्ट्रीय परिषद् भारतवर्ष के फ़ेडरेशन के समस्त राजनीति तथा शासन-सम्बन्धी अधिकारों की केन्द्र होगी। यदि हम 300 से लेकर 400 तक की प्रतिनिधि-संख्या से सन्तुष्ट हैं तो मेरे ख्याल से प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली, जिसका अधिकार-क्षेत्र अपने प्रदेश की हद तक ही सीमित है, अपनी असेम्बली में प्रतिनिधियों की इससे अधिक संख्या न रखे। श्रीमान् जी, इसी अभिप्राय से मैं यह सिफ़ारिश पेश करता हूं कि जिस प्रकार हमने प्रतिनिधियों की कम से कम संख्या 50 रखने की व्यवस्था की है उसी प्रकार हमें अधिक से अधिक संख्या की भी व्यवस्था करनी चाहिये, और मेरी तुच्छ राय के अनुसार 300 सदस्यों की असेम्बली समस्त प्रान्तीय कार्यों के लिये यथेष्ट होगी।

(सर्वश्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले, गोकुल भाई डी. भट्ट, आर.के. सिधवा, डी.पी. खेतान और एच.जे. खांडेकर ने अपने संशोधन पेश नहीं किये।)

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्य प्रान्त और बरार : जनरल): श्रीमान् जी, इस वाक्य-खंड के नोट में आपको एक वाक्य मिलेगा जो इस प्रकार है:

''यूनीवर्सिटियों के लिये, या श्रम के लिये या स्त्रियों के लिये लेजिस्लेटिव असेम्बली में कोई विशेष प्रतिनिधित्व नहीं होगा।''

यहां तक तो ठीक, परन्तु व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योग-धंधे का कोई जिक्र नहीं किया है। मैंने एक संशोधन रखा है कि:

''व्यापार, व्यवसाय या उद्योग धंधे का कोई विशेष प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिये।''

मैं नहीं जानता हूं कि यह भूल से रह गया है। यदि किसी विशेष हित का कोई विशेष प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो मैं अपने संशोधन को पेश नहीं करना चाहता हूं। मैं तो यह चाहता हूं कि किसी भी हित के साथ रियायत न की जाये।

***अध्यक्ष:** वह केवल नोट है, वाक्य-खंड का अंश नहीं है।

***श्री आर.के. सिधवा:** इस नोट से कमेटी का अभिप्राय विदित होता है। कमेटी ने जो कुछ कहा है उससे मैं पूर्णत: सहमत हूं क्योंकि अब समस्त हितों के लिये मताधिकार लागू हो जाने और किसी हित के लिये विशेष रियायत न होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को सीधे मार्ग से आना पड़ेगा। मैं नहीं समझता हूं कि व्यापार, व्यवसाय और उद्योग-धंधे को क्यों छोड़ दिया गया है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वे अपने उत्तर में इस बात को स्पष्ट कर देंगे कि सब विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति हो जायेगी।

***अध्यक्ष:** श्री सिधवा, मैं यह समझता हूं कि आपने अपना संशोधन पेश नहीं किया है, क्योंकि नोट पर कोई संशोधन नहीं हो सकता है। श्री देसाई!

***श्री खांडूभाई के. देसाई** (बंबई: जनरल): मेरा संशोधन भी लगभग वैसा ही है जैसा कि श्री सिधवा का, और जैसा कि मैं समझता हूं कि अब से आगे हम केवल प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र रखेंगे और कोई विशेष निर्वाचन-क्षेत्र न होंगे। मैं अपना संशोधन पेश नहीं करना चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** श्री अमिय कुमार दास!

श्री अमिय कुमार दास (आसाम : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि:

''वाक्यखंड 19 के उप-वाक्यखंड (2) में 'लाख' शब्द के स्थान में 'पिचहत्तर हजार' शब्द रख दिये जायें।''

यद्यपि मेरे माननीय मित्र सर सादुल्ला ने आबादी के परिमाण को एक लाख से दो लाख बढ़ा देने के लिये संशोधन पेश किया है, मुझे खेद है कि उसी प्रान्त आसाम का होते हुए मुझे उनसे मतभेद हो रहा है। आसाम में यह आम मांग है कि निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में जनसंख्या का परिमाण पिचहत्तर हजार की संख्या तक नियत किया जाना चाहिये। श्रीमान् जी, जैसा कि आपको विदित होगा आसाम में बहुत सी पिछड़ी हुई जातियां हैं और बड़े निर्वाचन-क्षेत्रों में इन जातियों को चुनाव में आने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। यद्यपि प्रांतीय कांग्रेस कमेटी आसाम की बैठक नहीं हुई है, फिर भी हममें से बहुत से कांग्रेसी इस सम्बध में निर्णय कर चुके हैं। आसाम की प्रांतीय कांग्रेस

[श्री अमिय कुमार दास]

कमेटी के अध्यक्ष ने इसी विषय पर माननीय सरदार पटेल के विचारार्थ उनको एक मेमोरेन्डम भेजा है। मेरा विश्वास है कि मसविदा बनाने वाली कमेटी, जो कि अभी बनाई जायेगी, इस प्रश्न पर विचार करेगी।

1–19 वाक्यखंड के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:

''या जमींदारों के लिये या व्यवसाय के लिये या उद्योग के लिये''।

मैं इस हाउस के सामने एक अन्य प्रश्न पर जोर देना चाहता हूं। माननीय सरदार पटेल ने हमसे अभी यह कहा है कि आसाम में ऊपर वाली सभा नहीं है। वास्तव में ऊपर वाली सभा है तो सही, पर हम उसे भंग करना चाहते हैं। यह मांग लगभग हम सबकी सम्मति से है। भविष्य में हम उस ऊपर की सभा को नहीं रख रहे हैं जिसको हम इतने अरसे से रखे हुए थे तथा यही उचित और न्याययुक्त है कि पिछड़ी हुई जातियों को एकमात्र इस सभा के चुनाव में आने का अवसर दिया जाये–मेरा आशय नीचे की सभा से है। हाउस के सामने मैं खासकर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जब आप व्यवस्थापिका के लिये अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या नियत कर देंगे तो बड़े-बड़े प्रान्तों, जैसे मद्रास या संयुक्त प्रान्त में परिमाण के घटा देने से हाउस के बड़े और बेकाबू होने की कोई कठिनाई नहीं होगी। यह कठिनाई अधिक से अधिक संख्या नियत कर देने से दूर हो जाती है। जैसा कि सर सादुल्ला ने अभी अधिक से अधिक 300 की संख्या सीमित करते हुए विचार रखा है और मेरा ख्याल है कि माननीय प्रस्तावक इस संशोधन को स्वीकार करेंगे। इस विचार से, मेरा ख्याल है कि हाउस को मेरा संशोधन स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

हाउस की स्वीकृति के लिये मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूँ।

***अध्यक्ष:** रेवरेन्ड निकोल्सराय!

***माननीय रेवरेंड जे.एम. निकोल्सराय** (आसाम: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन को पेश करता हूं जो इस प्रकार है कि:

वाक्यखंड 19 के उप-वाक्यखंड (2) में निम्लिखित व्यवस्था जोड़ दी जाये–

''बशर्ते कि उन प्रादेशिक क्षेत्र अथवा क्षेत्रों को, जिनमें पहाड़ी कौमें रहती हों, प्रतिनिधित्व देने के लिये प्रान्तीय सरकार एक लाख से कम जनसंख्या के आधार का निर्णय कर सकती है तथा कुल प्रतिनिधियों की संख्या तदनुसार बढ़ा दी जायेगी।''

इस संशोधन को पेश करने का कारण यह है कि वाक्यखंड 19 के उप-वाक्य-खंड (2) की भाषा किसी प्रान्त को लेजिस्लेटिव असेम्बली में हर लाख की जनसंख्या के लिये एक प्रतिनिधि की आनुपातिक संख्या के हिसाब से अधिक प्रतिनिधि रखने में बाधा डालती प्रतीत होती है। यदि इस वाक्यखंड की भाषा से यही तात्पर्य है, तो आसाम की पहाड़ी जनता के लिये यह वास्तव में एक दु:खदायी बात होगी। मेरे प्रांत के पहाड़ी इलाके में बड़े-बड़े प्रदेश हैं जिनमें अनुपात से कम मनुष्य बसे हुए हैं। उदाहरणार्थ, लुशाई की पहाड़ियों का क्षेत्रफल 8,000 वर्गमील से अधिक है लेकिन उसमें लुशाई लोग (वे अपने आपको मिज्जू कहते हैं) केवल डेढ़ लाख से कुछ अधिक बसे हुए हैं। एक समलत इलाके में जिसका क्षेत्रफल 3,800 वर्गमील है, 12,54,000 की आबादी है। ऐसा होने पर यदि एक लाख प्रति सदस्य का हिसाब पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगाया जाये तो स्पष्टतया पहाड़ी मनुष्यों के लिये यह एक बड़ी भयानक और दु:खदायी बात होगी।

श्रीमान् जी, एक और इलाका है—उत्तरी कचार पहाड़ियां—जिनका क्षेत्रफल 2,000 वर्गमील है जिनमें केवल 37,000 जनसंख्या की पहाड़ी कौमें रहती हैं। हमारे यहां आने से पूर्व आज प्रात:काल हमारे पास इस इलाके की जनता के पत्र आये हैं जिनमें यह लिखा है:

समाचार-पत्रों से मुझे यह विदित हुआ है कि अनुकरणीय प्रान्तीय विधान-कमेटी ने यह सिफारिश की है कि प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं में जनगणना के आधार पर प्रतिनिधित्व होगा जो कि एक लाख पर एक प्रतिनिधि से अधिक नहीं होगा और कम से कम संख्या (प्रतिनिधियों की) 50 होगी। विशेष परिस्थितियों में बिना किसी व्यवस्था के यदि यह स्वीकार कर लिया गया तो उत्तरी कचार

[माननीय रेवरेंड जे.एम. निकोल्सराय]

पहाड़ी इलाके का. जिसकी आबादी केवल 37,000 है, प्रतिनिधित्व स्थायी रूप से अस्वीकृत हो जायेगा। जनसंख्या के आधार पर एक पूरे इलाके के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करना अन्यायपूर्ण और यहां तक कि मूर्खतापूर्ण होगा।

श्रीमान् जी, आसाम की पहाड़ी जनता का यह भाव है, और यह केवल इसी विशेष पहाड़ी इलाके के लिये ही लागू नहीं होता वरन् आसाम के समस्त पहाड़ी इलाकों के लिये लागू है।

अब भी पहाड़ी क्षेत्रों से आसाम की असेम्बली में प्रतिनिधित्व है जो कि एक लाख की जनसंख्या से बहुत कम आधार पर है। एक इलाका है जिसका एक प्रतिनिधि है और इस इलाके की आबादी केवल 85,000 है, एक और है जिसकी आबादी 70,000 है और वह एक प्रतिनिधि भेजता है। यदि इस वाक्यखंड का यह अभिप्राय है कि उस इलाके से कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा जा सकता जिसकी कि आबादी एक लाख से कम है तब तो इन निर्वाचन-क्षेत्रों को समाप्त कर देना होगा। जब हम हिन्दुस्तान की आजादी के बाबत बातचीत कर रहे हैं तो इन (उपरोक्त) बातों का मतलब पहाड़ी जनता की दासता से है जिसको पहाड़ी जनता कभी भी न्याय के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती है। इसलिये श्रीमान् जी, मैं निवेदन करता हूं कि इस वाक्यखंड के मसविदे द्वारा किसी ऐसे प्रान्त में जनसंख्या के इससे कम आधार को मानने में रुकावट न हो जिसे व्यवस्थापिका में एक सदस्य भेजने के लिये जनसंख्या के ऐसे कम आधार को मानने की अवश्यकता हो। मुझसे किसी ने कहा है कि यह वाक्यांश संभवतः इन सब बातों की इजाजत देता है। यह इस बात की भी इजाजत देता है कि प्रान्त को प्रतिनिधि संख्या 50 से लेकर 300 या 400 तक रखनी चाहिये, यदि बड़ी से बड़ी यही संख्या रखी गई। परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि इस भाषा की व्याख्या ठीक भिन्न प्रकार से की जा सकती है। यदि व्याख्या यही है कि प्रान्त प्रतिनिधियों की संख्या नियत करने में स्वतन्त्र है तब तो सब ठीक होगा। परन्तु यदि यह संख्या हर लाख के लिये एक प्रतिनिधि के हिसाब से नियत की गई तो बड़ी आपत्ति होगी और उसका प्रयोग पहाड़ी जनता के लिये घातक होगा। हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि आसाम के पहाड़ी इलाकों में अब भी ऐसे मनुष्य हैं जो कि पूर्ण स्वतंत्र होना चाहते हैं और एक पृथक राजसत्ता बनाना चाहते हैं। कुछ बर्मा से मिलना चाहते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो सम्भवतः पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं। यदि इस प्रकार का प्रतिनिधित्व आसाम की पहाड़ी जनता पर लादा गया तो यह उपरोक्त प्रोपेगन्डा

में सहायक होगा और हिन्दुस्तान के लिये बड़ा कष्टदायक होगा। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रस्तावक महोदय इस विषय पर प्रकाश डालेंगे और हाउस को यह बतायेंगे कि प्रान्त उन पहाड़ी क्षेत्र की जनता के लिये किसी कम आधाार पर प्रतिनिधित्व दे सकता है या नहीं जहां कि बड़े-बड़े प्रदेशों में आबादी कम है। ये इलाके सम्भावित सम्पत्ति के जरिये हैं। अतः आसाम के प्रान्त के लिये बड़े महत्व के हैं। यदि इस पर विचार नहीं किया जाता है तो वास्तव में एक बड़ी दुःखदायी बात होगी। श्रीमान् जी, मैं अपने प्रस्ताव को हाउस की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

(सर्वश्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर, शिब्बनलाल सक्सेना और विश्वनाथ दास ने वाक्य-खंड 19 पर अपने संशोधन पेश नहीं किये।)

श्री लक्ष्मीनारायण साहू (उड़ीसाः जनरल): अध्यक्ष महोदय, वाक्य-खंड 19 के उपवाक्य खंड (1) के अन्त में मैं एक उपवाक्यखंड रखना चाहता हूंः ''जब उड़ीसा की रियासतें उड़ीसा प्रांत में सम्मिलित हो जायें तो उड़ीसा ऊपर की सभा रख सकता है''। लगभग आधे उड़ीसा में उड़ीसा की रियासतें है और अब उड़ीसा की रियासतों का वर्तमान राजनैतिक उड़ीसा में सम्मिलित हो जाने की बड़ी आशा है। इस कारण उड़ीसा रियासतों के राजाओं में अच्छी भावना पैदा करने के लिये मेरे विचार से उड़ीसा में ऊपर की सभा का रखना बहुत जरूरी है। वह ऊपर की सभा प्रजातंत्रात्मक विस्फोटकों को रोकने में अच्छा कार्य करेगी। उनको साधारणतः यह भय रहेगा कि प्रजातंत्र का बोल-बाला होगा और वे हटा दिये जायेंगे। इसलिये मेरे विचार से वाक्यखंड 19 के पश्चात् एक निश्चित उपवाक्यखंड होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त सीमाओं की हदबन्दी करने की भी आशा है। उस दशा में उड़ीसा की सीमा विभिन्न दिशाओं में बढ़ा दी जायेगी। हमें यही आशा है। इस कारण आबादी बढ़ जायेगी। नई आबादी जो हामरी सीमा में आ जायेगी, धीरे-धीरे हमारे साथ एकीकरण तभी कर सकेगी जब वह इस आश्वासन का अनुभव करेगी कि एक ऊपर की सभा और है जहां कि सब कानूनों पर जिनको नीचे की सभा पास करती है फिर से विचार होता है और कानून-निर्माण सम्बन्धी कार्य उचित तरीके से होता है। यह दूसरा कारण है कि ऐसी व्यवस्था क्यों होनी चाहिये।

[श्री लक्ष्मीनारायण साहू]

प्रस्तावक महोदय सरदार वल्लभभाई पटेल ने बतलाया है कि यह प्रान्त पर निर्भर है कि यदि वह ऊपर की सभा चाहता है तो रख सकता है। यह बहुत अच्छा है। परन्तु इसके साथ-साथ मैं सारे हाउस को बताना चाहता हूं कि (आसाम के लिये) एक ऊपर की सभा की बड़ी आवश्यकता है। इसलिये मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि:

''वाक्यखंड 19 के उपवाक्य खंड (1) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:

'जब उड़ीसा की रियासतें उड़ीसा प्रान्त में सम्मिलित हो जायें तो उड़ीसा ऊपर की सभा रख सकता है'।''

मैं अपना दूसरा संशोधन भी पेश करता हूं जो यह है कि:

''वाक्य-खंड 19 के उपवाक्य-खंड (4) में मद (ख) के बाद निम्नलिखित नया मद जोड़ दिया जाये:

'प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के मतदाताओं को अपने चुने हुये सदस्य या सदस्यों को हटाने का अधिकार होना चाहिये, यदि किसी परिस्थिति के कारण वे उनको हटाना चाहते हों'।''

यह बहुत जरूरी है क्योंकि हम जानते हैं कि कभी-कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जबकि मतदाता व्यवस्थापिका से सदस्य को हटाना चाहते हैं, पर ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि एक्ट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जब हम नया एक्ट बना रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हमें इस नये वाक्यांश की—अर्थात् सदस्य को हटाने के अधिकार की—व्यवस्था रखनी चाहिये।

इसको प्रयोग में लाने की कठिनाइयों के सम्बन्ध में मेरे ख्याल से तो कोई कठिनाई होगी ही नहीं क्योंकि निर्वाचन-क्षेत्र बहुत छोटा होगा। और फिर हम यह व्यवस्था रख सकते हैं कि सदस्य तभी हटाया जायेगा जबकि मतदाताओं का दो तिहाई अथवा ऐसा ही कोई अनुपात उस सदस्य के विरुद्ध मत दे जिसे वे नहीं चाहते हैं। मैं इस सम्बन्ध की पूरी कार्यविधि से जानकार नहीं हूं परन्तु वह मालूम की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त मेरे ख्याल से जब कि हम पूरी शक्ति से लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं (सदस्यों को) इस प्रकार हटाने की व्यवस्था आवश्यक है। बिना इस व्यवस्था के हमारा कानून-निर्माण पूरा नहीं होगा क्योंकि अन्य स्थानों में भी यह कानून धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है। उदाहरण के लिये, स्विट्जरलैंड में और अमेरिका के कुछ राज्यों में। बिहार और उड़ीसा की व्यवस्थापिका में सन् 1922 में ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मंत्री उड़ीसा निवासी श्री मधुसूदनदास ने लोकल लेजिस्लेटिव एक्ट में इस प्रकार की व्यवस्था जारी कर दी थी। यदि यह भय हो कि इस व्यवस्था का दुरुपयोग होगा और इसको प्रयोग में लाना जनता के लिये कठिन होगा तो मैं इस भय में कोई सार नहीं देखता हूं, क्योंकि इस प्रकार हटाने की व्यवस्था बिहार और उड़ीसा के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट में है पर उसका प्रयोग नहीं हुआ है यद्यपि मनुष्य उसकी चर्चा करने लगे हैं।

इस व्यवस्था से लाभ उठाना बहुत आसान नहीं है। इस कारण ऐसा कोई भय नहीं होना चाहिये कि यदि सदस्य को हटाने की व्यवस्था होगी तो जनता उसका दुरुपयोग करेगी और अनेकों पार्टियां बन जायेंगी जो एक सदस्य को हटाने और दूसरे को भेजने का प्रयत्न करेंगी। और यदि ऐसा हो भी तो मैं उसका स्वागत करूंगा क्योंकि वह हमारी जनता के लिये एक प्रकार की शिक्षा होगी। हमारी जनता साधारणत: एक बार वोट देने के बाद और किसी बात को सोचती ही नहीं और यदि ऐसा हो जायेगा तो वह सोचने लगेगी तथा लोग कार्य में अधिक तत्पर और संलग्न रहेंगे। अत: मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि ये दो उपवाक्यखंड इस वाक्यखंड में बढ़ा दिये जायें।

जनसंख्या के सम्बन्ध में मैं एक और विषय को लूंगा। श्री अमियकुमार दास और श्री निकोल्सराय ने बतलाया है कि निर्वाचन-क्षेत्र छोटे होने चाहिये। मेरा भी ऐसा विचार है क्योंकि उड़ीसा में बहुत से आदिवासी लोग हैं और उनके अलग-अलग दल हैं। यदि निर्वाचन-क्षेत्र छोटे हुए तो वे लोग अपना कोई आदमी भेज सकते हैं। उदाहरण के लिये, **अमन्तवास** केवल 60,000 हैं, वे अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सकते हैं क्योंकि उनकी संख्या कम है। और भी पहाड़ी कौमें हैं जिनकी संख्या 20 या 30 हजार है। यह सच है कि हम इस व्यवस्थापिका सम्बन्धी अधिकार को सारे दलों के लिये लागू नहीं कर सकते हैं फिर भी हमें यह इच्छा तो रखनी ही चाहिये कि उन पहाड़ी मनुष्यों को, जिनकी इतने दिनों तक अवहेलना की है, इस प्रकार अधिकार दिये जायें कि उनको राजनैतिक ज्ञान जितना शीघ्र संभव हो प्राप्त हो सके, जिससे कि हम उन्हें अपने समान बनाने में समर्थ हों।

***श्री आर.के. सिधवा:** श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं। कि वाक्य-खंड 19 के उपवाक्य-खंड (2) में संख्या ''50'' के स्थान में संख्या ''60'' रखी जाये। नये विधान में हम वर्तमान से अधिक व्यापक मताधिकार रखना चाहते हैं जिसके कारण व्यवस्थापिका में प्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या होगी। यह बहुत वांछनीय है कि लोकतंत्र की भावना का अनुसरण करते हुये हम आने वाले विधान में व्यवस्थापिकाओं के लिये प्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या रखें। मैं मि. सादुल्ला के विचार से सहमत नहीं हूं कि बड़ी असेम्बली बड़ी और बेकाबू हो जाती है। ऐसे निर्जीव तर्क तो बहुधा उस समय उपस्थित किये जाते हैं जबकि लोग बड़ी असेम्बली नहीं चाहते हैं। यह विधान-परिषद् है जिसमें 225 सदस्य हैं। क्या यह बड़ी और बेकाबू है? विवाद ध्यानपूर्वक सुना जाता है तथा हम लोग शीघ्र तथा निर्विघ्न कार्य कर रहे हैं। केन्द्रीय या प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं तक में, जिनमें केवल 100 ही सदस्य के लगभग होते हैं, मैंने कभी-कभी कोरम की कमी देखी है और स्पीकर तथा अध्यक्ष घंटी बजाते रहते हैं। और यहां यद्यपि इतने अधिक सदस्य हैं तो भी वे अपने कर्त्तव्यों में दत्तचित्त हैं और हम उनके उस ज्ञान तथा अनुभव से लाभ उठाते हैं जिसकी सहायता से एक बहुत लाभदायक विधान बनेगा। इसलिये मैं प्रस्तावक महोदय का समर्थन करता हूं कि असेम्बली में हर एक लाख की आबादी के लिये एक सदस्य होगा।

श्रीमान् जी, कम-से-कम संख्या को मैंने 50 की जगह 60 रखने का सुझाव रखा है, इसका यह कारण है। आज भारतीय संघ में से सबसे छोटा प्रान्त उड़ीसा है; जिसकी आबादी 84 लाख है और जिसके हाउस में, उस निर्वाचक समूह के आधार पर जो कि भविष्य में होने वाले निर्वाचक समूह से छोटा है, 60 सदस्य हैं। आगे होने वाले बड़े निर्वाचक समूह में हम इस संख्या को 50 तक नहीं ले जा सकते हैं। दोनों नये प्रान्त-पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक की आबादी 2 करोड़ 40 लाख है। वे बड़े प्रान्त हैं और हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि उनको पूरा प्रतिनिधित्व मिले। इसलिये मैं यह सुझाव रखता हूं कि आसाम या उड़ीसा इत्यादि जैसे प्रान्तों में कम से कम संख्या 60 रखी जाये जैसी कि अब है।

***अध्यक्ष:** मेरे ख्याल से श्री सिधवा ने वाक्यखंड को गलत समझा है। वह तो केवल कम से कम संख्या है यदि आबादी 84 लाख है तो वाक्य-खंड के अनुसार यह संख्या 84 हो जायेगी। संशोधन उन मामलों से सम्बन्ध ही नहीं रखता, वह केवल उन मामलों से सम्बन्ध रखता है जहां कि संख्या 50 से कम है।

***श्री आर.के. सिधवा:** परन्तु यदि कोई कम से कम संख्या रखनी है तो मैं उसे 60 रखना चाहता हूं। यही मेरा संशोधन है और मुझे आशा है कि हाउस इसे स्वीकार करेगा। जितने अधिक सदस्य होंगे मेरे ख्याल से उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि उनके चातुर्य, ज्ञान तथा अनुभव का लाभ प्राप्त होगा। श्रीमान् जी, मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव तथा संशोधन पर अब बहस हो सकती है।

***माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई:** अध्यक्ष महोदय, मैं इस वाद-विवाद में भाग लेना चाहता था। लेकिन चूंकि मेरे मित्र श्री निकोल्सराय ने हाउस के सामने कुछ ऐसे वाद हेतु रखे हैं कि मैं भी कुछ विचार रखना आवश्यक समझता हूं।

श्रीमान् जी, मुझे पूर्वी कबायली और पृथक तथा आंशिक पृथक क्षेत्रों की सब-कमेटी का सभापति होने का गौरव है। इस सिलसिले में हमें पहाड़ी क्षेत्रों में केवल दौरा करने का ही अवसर न मिला बल्कि पहाड़ियों की दशाओं का अध्ययन करने का भी अवसर मिला। मोटे रूप में यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का जो तरीका सामान्य जनता के लिये प्रस्तावित किया जा रहा है वह पहाड़ियों पर लागू नहीं हो सकता।

सिलहट के अलग हो जाने पर आसाम की आबादी 71 लाख है और प्रान्त का क्षेत्रफल इस समय केवल 62,000 वर्गमील है। अधिकतर मनुष्य 30,000 वर्गमील के समतल इलाके में रहते हैं। पहाड़ी इलाके सहित आसाम का क्षेत्रफल 62,000 वर्गमील है। यदि आप 30,000 वर्गमील घटा दें तो आपको यह विदित हो जायेगा कि 13 लाख पहाड़ी 32,000 वर्गमील में रहते हैं। हमारे लिये जो अधिक महत्वपूर्ण बात जानने की है वह यह है कि वे अलग-अलग दल बनाकर रहते हैं न कि सार्वजनिक रूप में मिलकर जैसे कि हम मैदानों में रहते हैं। इसलिये यदि इन मनुष्यों को कोई प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो उसका ढंग मैदानों में रहने वाली जनता को दिये गये प्रतिनिधित्व के ढंग से भिन्न होना चाहिये। ऐसी परिस्थितियों पर विचार करते हुये मैं सोचता हूं कि जो प्रस्ताव रेवरेन्ड निकोल्सराय ने हाउस के सामने रखा है उसका साधारणतया हम सबको समर्थन करना चाहिये। लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि संशोधन जिस रूप में है उसी रूप में उसका स्वीकार करना आवश्यक है अथवा नहीं। कदाचित आप सबको यह विदित होगा कि एडवाइज़री सब-कमेटी

[माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई]

प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में भी कुछ सिफारिश करेगी। यहां अब यही हो सकता है कि मैदानों को छोड़कर जहां तक अन्य क्षेत्रों से सम्बन्ध है, हम सामान्य सिद्धान्त को स्वीकार कर सकते हैं। मैं यहां इस बात पर बहस नहीं कर रहा हूं कि प्रतिनिधित्व कैसा होना चाहिये और वह 75,000 पर एक के हिसाब से हो या एक लाख पर एक के हिसाब से या दो लाख पर, यद्यपि मेरी राय से तो यह प्रान्तों की आबादी और क्षेत्रफल के अनुसार अलग-अलग होना चाहिये। परन्तु इस तथ्य को स्वीकार कर लेना चाहिये कि इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किसी विशेष योजना के अनुसार होगा। श्री निकोल्सराय की सिफारिश यह है कि इस विषय को सम्बन्धित प्रान्तीय सरकारों के निर्णय पर छोड़ दिया जाये। मेरे ख्याल से अच्छा तरीका यह होगा कि इस विषय को एडवाइज़री कमेटी के सुपुर्द छोड़ा जाये और उसकी सिफारिश की प्रतीक्षा की जाये और फिर उस समय हाउस इस प्रश्न पर विचार कर सकता है। हाउस को यह बात भी याद रखनी चाहिये कि वर्तमान विधान में इन पहाड़ियों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इन विचारों के साथ कि श्री निकोल्सराय के संशोधन की प्रवृत्ति तथा भावना को स्वीकार किया जाये, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्य प्रान्त और बरार: जनरल): अध्यक्ष महोदय, इस वाक्य-खंड के पहले उपवाक्यखंड का उत्तरार्ध इस प्रकार है–''निम्नलिखित प्रान्तों में इसके अतिरिक्त एक लेजिस्लेटिव कौंसिल भी होगी'' और इसके बाद कोष्टों में दिया हुआ है–''(यहां, यदि कोई हो तो उन प्रान्तों का सर्वनाश किया जाये जो ऊपर की सभा रखना चाहते हैं)''। मुझे खुशी है कि ''यदि कोई हो तो'' इन शब्दों को यहां स्थान नहीं मिला है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कोई भी प्रान्त ऊपर की सभा रखना पसन्द नहीं करेगा। परन्तु कुछ प्रान्तों की ऊपर की सभा रखने की संभावना को पूर्णत: दूर नहीं कर सकते। इसलिये मैं आज हाउस के सामने वर्तमान दूसरी सभाओं को हटाने का और नई बनाने पर विरोध करने का तर्क उपस्थित करने के लिये खड़ा हूं।

श्रीमान् जी आधुनिक राजनैतिक प्रथा में दूसरी सभा समय के विरुद्ध होती जा रही है। फेडरल प्रजातंत्र में–जिसकी रचना हमने अपने हिन्द, अपने भारतवर्ष के लिये विचारी है–केन्द्र के लिये हम दूसरी सभा का विचार कर सकते हैं, लेकिन अपने फेडरल प्रजातंत्र को वैधानिक इकाइयों में दूसरी सभा का रखना हानिकारक और दोषपूर्ण होगा।

विभिन्न प्रयोजनों के कारण समस्त संसार में दूसरी सभाओं की स्थापनायें हुई हैं। गत शताब्दी में प्राय: एक स्वयंसिद्ध राजनैतिक प्रमाण के समान यह कहा गया था कि कोई भी लोकतंत्र बिना दूसरी सभा के नहीं होना चाहिये। परन्तु बीसवीं शताब्दी में यह प्रथा शीघ्रता के साथ मिट रही है और एक सभात्मक व्यवस्थापिकाओं के मुकाबले में पीछे हट रही है। (या और एक सभात्मक व्यवस्थापिकायें स्थान ग्रहण कर रही हैं) जैसा कि मैंने कहा कि विभिन्न प्रयोजनों के कारण दूसरी सभाओं की स्थापनायें हुई। पहली बात तो पुरानी परम्परा को कायम रखने की इच्छा थी। मुझे खुशी है कि कम से कम भारतवर्ष में तो हमारी ऐसी कोई परम्परा नहीं है। इस शताब्दी के पहले दस वर्षों में ब्रिटिश सरकार ने अधिकतर पिछली शताब्दी की योजना के रूप में दूसरी सभाओं की स्थापना की। लेकिन इस शताब्दी के मध्य में यह प्रथा निन्दनीय साबित हुई।

दूसरा प्रयोजन जिसके कारण दूसरी सभाओं की स्थापना हुई, पूंजीपतियों के हितों तथा रूढ़िगत अधिकारों के संरक्षण की चाह थी। यदि हम अपने फेडरेशन के हर एक प्रान्त में दूसरी सभा रखें तो मुझे भय है कि वही वर्ग जिसने हमारे देश में ब्रिटिश शासन को आश्रय दिया, जिसने ब्रिटिश राज्य के अन्तिम दिनों में उसको आश्रय तथा सहारा दिया, इन संस्थाओं में स्थान प्राप्त करेगा। मैं तो अपने देश में ऐसी प्रगति का समर्थन नहीं करूंगा।

तीसरा प्रयोजन जिसके कारण दूसरी सभाओं की स्थापना हुई, यह है कि वे नीचे के हाउस की वेगवती प्रवृत्ति में रुकावट पैदा करें। श्रीमान् जी, आधुनिक प्रजातंत्रों में कानून को एक बड़े पेचीदे ढंग से पास कराने की प्रथा है और इस कारण व्यवस्थापक अवरोधों को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, विशेषकर उस संकटमय समय का विचार करते हुये जिसमें होकर हम गुजर रहे हैं। जब कि एक शक्तिशाली यूनियन बनाने की हमारी अभिलाषा है तो हम दूसरी सभा के ऐश्वर्य पर व्यय नहीं कर सकते हैं। जो कि मुझे भय है कि प्रान्तों के शासन को शिथिल बनायेगी तथा गवर्नमेंट को प्रगतिहीन अथवा किसी कदर न्यून गति वाली बना देगी। हम यह चाहते हैं कि ये सरकारें गतिशील होनी चाहियें, और मुझे यकीन है कि दूसरी सभायें प्रत्येक प्रान्त में शिथिलता उत्पन्न करेंगी। ये विचार हैं जो मुझे दूसरी सभाओं की स्थापना का विरोध करने के लिये प्रेरित करते हैं। मैं आशा करता हूं कि फेडरेशन की वैधानिक इकाइयां हमारे देश भारतवर्ष में दूसरी सभायें रखना पसन्द नहीं करेंगी।

***श्रीमती रेणुका रे** (पश्चिमी बंगाल: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं वाक्यांश 19 और विशेषकर इस वाक्यखंड के भाग (2) का समर्थन करने के लिये खड़ी होती हूं जो कि स्थानों का संरक्षण किये बिना प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करता है। स्त्रियों के लिये विशेष स्थान नियत करने का हम खासतौर से विरोध करती हैं। इस देश में महिला-आन्दोलन आरम्भ होने के समय से ही स्त्रियां विशेष अधिकार तथा संरक्षण का मौलिक रूप से विरोध करती रही हैं। (*वाह, वाह*)। शताब्दियों से पराधीन, निराहत तथा नाशोन्मुख रहने के कारण स्त्रियों की दशा इतनी गिर गई है कि धीरे-धीरे उसने अपने सब सामाजिक तथा कानूनी अधिकार खो दिये। लेकिन चेतना के प्रथम आवेश में भी उनके हृदय में कभी मताधिकार विस्तारवादी संकीर्ण भाव उत्पन्न नहीं हुये जो कि बहुत से उन्नत कहे जाने वाले राष्ट्रों में प्राय: पाये जाते हैं। इस देश की नारियों ने, स्थिति की समानता, न्याय और सद्व्यवहार प्राप्त करने के लिये और खासकर अपने देश के उत्तरदायित्व पूर्ण सेवा-कार्य में भाग प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये हैं। समाज में पिछड़ी हुई रहने के कारण उन व्यक्तियों ने जो कि देश में स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, महिला समाज का उसी प्रकार शोषण किया है जिस प्रकार कि इस देश के कई दलों का शोषण पिछड़े हुये रहने के कारण हुआ है।

1935 ई. के एक्ट के लागू होने के पहले भारतवर्ष की महिला समाज के प्रतिनिधियों ने यह स्पष्ट कह दिया था कि वे स्थानों के सुरक्षित करने अथवा महिलाओं के लिये अन्य किसी विशेष अधिकार के खिलाफ हैं। उन्होंने इस वाक्य-खंड को अखिल भारतीय महिला सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत किया था। हमारी तीन महिला प्रतिनिधियों ने जोइन्ट पार्लियामेंटरी कमेटी के सामने जो बयान दिया था उसमें यह साफ शब्दों में कह दिया था (मैं यहां यह बता दूं कि राजकुमारी अमृतकौर उन तीन महिला सदस्यों में थीं) कि हम अपने लिये स्थानों का संरक्षण नहीं चाहती हैं। लेकिन हमारे विरोध करने पर भी तथा हमारी इच्छाओं के ठीक विपरीत सन् 1935 ई. के एक्ट में स्थानों का संरक्षण नियत किया गया। लेकिन जहां हृदय मजबूत है और फैसला ठोस है कोई भी षडयन्त्र विचलित नहीं कर सकता है; अत: महिलाओं ने अपने स्वयं को उस जाल में नहीं फंसाया। यह कहना गलत होगा कि हमारी इस मनोवृत्ति का सारा श्रेय स्त्रियों को है। इस देश में महिलाओं में राष्ट्रीय जागृति आरम्भ होने के समय से ही ज्ञानवान पुरुष उनको साहस दिलाते रहे हैं कि वे स्वतंत्रता के युद्ध में समान सहयोगी के सदृश आगे बढ़ें और जीवन के विभिन्न पहलुओं में राष्ट्रीयता उत्पन्न कराने का कार्य करें। जब महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के लिये

इस देश की महिलाओं को अपना आदेश दिया तो देश के समस्त सामाजिक बन्धन टूट गये। भारतीय महिलाओं के पास इस महान व्यक्ति के लिये कृतज्ञता प्रकट करने के लिये शब्द नहीं हैं, जिसने कि आज देश को स्वतंत्रता के द्वार पर खड़ा कर दिया है। (*वाह, वाह*) इसलिये यह स्त्रियों के स्वाभाविक गुणों के कारण ही नहीं वरन् मैं तो कहूंगी कि यह विशेषकर हमारे पुरुष समाज के गुणों के कारण ही यह श्रेय प्राप्त हुआ है कि इस देश में कभी स्त्री और पुरुष में संघर्ष नहीं हुआ।

जब हिन्दू कानून सुधारक बिल (हिन्दू लॉ रिफ़ार्म बिल) केन्द्रीय असेम्बली में पेश हुआ तो स्त्रियां स्वभावत: उत्सुक थीं कि यह बिल जो कि उनको कुछ अधिकार दिलाते थे स्वीकार हो जाने चाहियें। लेकिन इसका विरोध हुआ जो यद्यपि किसी बड़ी संख्या द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन बड़े उग्र रूप में था, क्योंकि वह विरोध उस प्रतिक्रियावादी दल द्वारा किया गया था जो कि उस समय की सरकार का बड़ा पक्षपाती था और जो कदम-कदम पर देश को भी धोका दे रहा था। विदेशी सरकार उनकी अप्रसन्नता न सह सकी और जब तक हम अपनी आत्मा तथा अपने अधिकारों में हेर-फेर करने के लिये तत्पर न होते तब तक हम उस विरोध का मुकाबला नहीं कर सकते थे। श्रीमान् जी जो हमने अब तक सोचा था वह आज हो रहा है। हमने सदैव यही सोचा कि जब पुरुष वर्ग, जिसने अपने देश की स्वतंत्रता के लिये युद्ध तथा संघर्ष किया है, अधिकार प्राप्त करेगा उस समय स्त्रियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की भी गारंटी हो जायेगी। आज हम उसका प्रमाण देख रहे हैं। उस पुरुष वर्ग को, जिसने आज अधिकार ग्रहण कर लिया है, एक महिला को राजदूत के रूप में पसन्द करने के लिये स्थानों के विशेष संरक्षण की आवश्यकता न हुई जो कि संसार के इतिहास में दूसरी महिला राजदूत है। विजयलक्ष्मी पंडित इसलिये नहीं चुनी गई कि वे स्त्री हैं और नर-नारी का भेद इस नियुक्ति में बाधक था। यह उनकी प्रमाणित योग्यता के कारण है कि एक ऐसे देश के जो कि आज संसार में निर्विवाद रूप से बड़ा शक्तिशाली है, राजदूत के ऊंचे पद पर उनको नियुक्त किया गया है। इस बात ने हमारी स्थिति को प्रमाणित किया है और वास्तव में महिलाओं को इसका गौरव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि केवल विशेष योग्यता प्राप्त स्त्रियां ही नहीं वरन् समस्त स्त्रियां, जो कि पुरुषों के समान योग्य हैं और कार्य-क्षमता रखती हैं, बिना स्त्री-पुरुष भेद-विभेद के, उत्तरदायित्व पद ग्रहण करने के लिये आमंत्रित की जायेंगी।

भारतवर्ष की व्यवस्थापिकाओं में कुछ महिलायें हैं, लेकिन सामान्य निर्वाचन-क्षेत्रों से जो महिलायें आई हैं उनकी संख्या कम है। मेरे ख्याल से जबकि स्त्रियों के

[श्रीमती रेणुका रे]

लिये विशेष स्थान नियत हो जाते हैं तो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति क्रियान्वित हो जाती है और सामान्य सीटों पर स्त्रियों के भेजने के प्रश्न पर विचार ही नहीं उठता, चाहे वे कितनी ही योग्य क्यों न हों। यदि केवल योग्यता ही विचारणीय है तब तो हम अनुभव करती हैं कि स्वतंत्र भारत में कार्य करने के लिये और आगे बढ़ने के लिये स्त्रियों को भविष्य में अब से अधिक अवसर मिलेंगे।

उपरोक्त शब्दों के साथ, श्रीमान्जी मैं इस वाक्यखंड का समर्थन करना चाहती हूं, जिसने सदा के लिये स्त्रियों के उस स्थान-संरक्षण के प्रश्न का अन्त कर दिया, जिसे हम अपनी उन्नति में बाधक तथा अपने बौद्धिक ज्ञान और कार्य-क्षमता का अपवाद स्वरूप समझती थीं।

***श्री सारंगधर दास** (पूर्वी रियासतें): श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में ऊपर की सभा स्थापित करने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मीनारायण साहू के उस संशोधन का विरोध करने के लिये मैं यहां खड़ा होता हूं जो इस आशा पर है कि भविष्य में उड़ीसा के राजा उड़ीसा प्रान्त में सम्मिलित हो जायेंगे। आजकल के लोकतंत्रात्मक समय में कहीं भी ऊपर की सभा की स्थापना काल के विपरीत है। वयस्क मताधिकार के आधार पर जब कि समस्त आवश्यक कानून-निर्माण तथा समस्त आवश्यक हितों का संरक्षण उस एक सभा में हो जाता है, जिसके सदस्य समस्त जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो ऊपर की सभा की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसलिये मैं इस वाक्य-खंड के प्रस्तावक महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे यह देख लें कि भविष्य में ऊपर की सभा स्थापित करने के लिये कोई छिद्र न रह जाये और खासकर उड़ीसा में। साथ ही साथ मैं उड़ीसा व्यवस्थापिका का सदस्य हूं और उड़ीसा की जनता की भावना से परिचित हूं। कहीं भी किसी समय ऊपर की सभा की बाबत बातचीत नहीं हुई है और केवल राजाओं के रूढ़िगत अधिकारों को स्थिर रखने के लिये इसकी स्थापना करना हानिकारक होगा। अब तक तो यह रूढ़िगत अधिकार ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उत्पन्न किये गये थे, और अब प्रान्त में ऊपर की सभा स्थापित कर हम उन रूढ़िगत अधिकारों को दूसरे रूप में स्थिर कर रहे हैं। इसलिये मैं इस संशोधन का जबरदस्त विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि हाउस इस प्रकार के प्रतिक्रियावादी विचार का किसी प्रकार समर्थन नहीं करेगा।

***मौलवी सैयद मुहम्मद सादुल्ला** (आसाम: मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि भारतीय फेडरेशन के छोटे-छोटे प्रांतों और विशेषकर आसाम के लिये

एक खास दलील पेश करने की हाउस मुझे इजाज़त देगा। जब तक साइमन सुधार प्रयोग में नहीं आये तब तक आसाम सारे भारतीय प्रांतों की ''सिन्ड्रेला'' थी अर्थात् एक निराहत प्रांत था। उसने बाद में कुछ तरक्की की और वह प्रांतों की सूची में अन्तिम संख्या से तीन चार संख्या ऊपर दर्ज हुआ क्योंकि आसाम से छोटे उड़ीसा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और सिंध जैसे प्रांतों की स्थिति कायम हुई। परन्तु वर्तमान प्रबन्ध तथा आसाम प्रांत के जिले सिलहट के जनमत के फलस्वरूप वह भारतीय संघ के एक निराहत प्रांत में फिर से बदल दिया गया। हाउस के अनेक माननीय सदस्यों को आसाम की हालात से परिचय प्राप्त नहीं है। आसाम दूर-दूर बसी हुई आबादी का क्षेत्र है। क्षेत्रफल में, जैसा कि वह तीन माह पूर्व था, लगभग बंगाल के बराबर है लेकिन उसकी आबादी बंगाल का केवल छटा भाग है। जैसा कि अभी इससे पूर्व मेरे दो देशवासियों ने कहा है हमारे क्षेत्र में वह आदिवासी जनता है जोकि साइमन सुधार के अन्तर्गत मंत्रिमंडल के प्रभाव से दूर कर दी गई थी। लेकिन तत्कालीन अधिकारियों ने आसाम और उसकी जनता की अवनत दशा पर विचार किया और हमें केवल 106 सदस्यों वाली प्रांतीय व्यवस्थापिका ही प्रदान नहीं की वरन् जनता के विरोध करने पर भी एक ऊपर की सभा और लाद दी। मेरा यहां ऊपर की सभा से कोई तात्पर्य नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि आसाम के समस्त सदस्यों ने, जोकि विधान-परिषद् में उपस्थित हैं, आसाम के विचार बताते हुये माननीय अध्यक्ष की सेवा में एक संयुक्त पत्र भेजा है। वे विचार कांग्रेस अथवा लीग के नहीं हैं वरन् आसाम की समस्त जनता के हैं कि हम भावी विधान में दूसरी सभा नहीं चाहते हैं। यह बताते हुये कि आसाम में 106 सदस्य हैं जब कि सन् 1931 की मर्दुमशुमारी में उसकी आबादी केवल 92 लाख थी। मैं इस बात को नहीं बता रहा हूं कि इस व्यवस्थापिका में आसाम के तिहाई भाग का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। आसाम के तीन सीमा प्रान्त के इलाके हैं, सबसे बड़ा साड्या सीमा प्रांत कहा जाता है, इसके बाद वालीपुर सीमा प्रांत है और तीसरा तिराय सीमा प्रांत है। सन् 1935 के सुधार में इन सबको अलग कर दिया था। कोई यह कह सकता है कि सीमा प्रांत के इलाके होने के कारण इनको अलग रखना ठीक था। लेकिन सीमा के भीतर के इलाके जैसे नागा पहाड़ियां, उत्तरी कचार पहाड़ियां और लुशाई पहाड़ियां भी सन् 1935 के सुधार के अनुसार भाग लेने से वंचित रखी गई थीं। इस महान् परिषद् के सामने मेरी दलील यह है कि आपको इस विषय पर गंभीर विचार करना पड़ेगा। यदि आप पिछड़े हुये प्रांतों की, आसाम जैसे अवनत प्रांत की—मैं दूसरे प्रांतों का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि शायद वे अपने आपको पिछड़े हुये न समझें—उन्नति चाहते हैं, तो भावी विधान में उनके साथ भिन्न प्रकार से विचार

[मौलवी सैयद मुहम्मद सादुल्ला]

किया जाना चाहिये। इसलिये मेरे माननीय मित्र अमियकुमार दास और रेवरेन्ड निकोल्सराय ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करने में मुझे बड़ी खुशी है। वास्तव में रेवरेन्ड निकोल्सराय ने हाउस के सामने एक सत्य बात रखी है कि एक बहुत बड़ा इलाका, जिसका क्षेत्रफल 2,000 वर्गमील है लेकिन आबादी सिर्फ 37,000 है, आसाम के भावी विधान में प्रतिनिधित्व प्राप्त करना चाहता है। लेकिन वे यह नहीं बताते कि प्रांतीय विधान में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिये आबादी की क्या सीमा होनी चाहिये। मेरे माननीय मित्र श्री अमियकुमार दास चाहते हैं कि आबादी का आधार एक लाख से 75 हजार कर देना चाहिये। कुछ वक्ताओं ने, जो मेरे प्रस्ताव पेश करने के बाद बोले, मुझे ग़लत समझा। मैं यह नहीं चाहता कि प्रतिनिधित्व के लिये आबादी-संख्या कम कर दी जाये। अब मैं अपनी साफ़ दलील रखता हूं कि छोटे प्रांतों को प्रांतीय व्यवस्थापिका की सदस्य-संख्या के सम्बन्ध में कुछ विशेष अधिकार दिये जायें। मैं हाउस के सामने अपना यह विनम्र निवेदन रखना चाहता था कि ऐसे प्रतिनिधित्व के लिये बड़ी से बंड़ी संख्या नियत कर देनी चाहिये जिसको मैंने 300 रखा था।

एक माननीय सदस्य—मैं अपने मित्र श्री सिधवा का, जो सिंध से है, हवाला दे रहा हूं—मुझसे झगड़ पड़े और कहा कि इस हाउस में जिसमें कि 228 सदस्य हैं हम यह महसूस नहीं करते कि यह बड़ा और बेकाबू है और प्रत्येक व्यक्ति ध्यानपूर्वक भाषणों को सुनता है। वास्तव में ऐसा ही होना चाहिये, क्योंकि इस विधान परिषद् में वे बुद्धिमान् तथा देशभक्त सदस्य हैं जिन्होंने देश की सेवा में सर्वस्व अर्पण कर दिया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है श्रीमान् जी, कि हम इतने ध्यान से तथा दत्तचित्त होकर सुनते हैं जबकि हमारे यहां श्री सिधवा जैसे व्यक्ति हैं जिनको इस विधान-परिषद में जगह देनी पड़ी, यद्यपि उनके निवास स्थान के आधार पर उनको इस हाउस में बैठने का अधिकार नहीं था।

***अध्यक्षः** श्री कक्कन तामिल में बोलना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि बहुत से सदस्य तामिल नहीं समझ सकेंगे।

***श्री पी. कक्कन** (मद्रासः जनरल)**:** अध्यक्ष महोदय, मैं तामिल में बोलना चाहता हूं जोकि मेरी मातृ-भाषा है। यदि मैं तामिल में बोलूं तो अपने विचार स्पष्ट प्रकट कर सकता हूं। इसलिये मैं तामिल में बोलना चाहता हूं जो कि मेरी मातृ-भाषा है!

(श्री कक्कन ने तामिल में भाषण दिया।)

***श्री राजकृष्ण बोस** (उड़ीसा: जनरल): श्रीमान् जी, मैं न तो हाउस का समय लेता और न इस प्रस्ताव पर बोलता; यदि मेरे एक साथी प्रांतीय विधान में इस प्रकार का संशोधन पेश न करते कि यदि उड़ीसा की रियासतें उड़ीसा में सम्मिलित हो जायेंगी तो उड़ीसा में ऊपर की सभा रख सकता है।

संशोधन का विरोध करते हुये मैं प्रस्तावक महोदय को यह बताना चाहूंगा कि संशोधन की सूचना देने से पूर्व कदाचित् उन्होंने प्रांतीय विधान के वाक्यखंड 19 का सूक्ष्म अध्ययन नहीं किया। वाक्यखंड 19 इस प्रकार है:

> ''किसी प्रांत में, जिसका व्यवस्थापक-मंडल ऊपर की सभा रखता है, सभा की रचना निम्न प्रकार की होगी।''

इसके पश्चात् रचना सम्बन्धी कार्यविधि बताई गई है। तत्पश्चात् नोट इस प्रकार है:

> ''यह स्वीकार किया गया कि प्रत्येक प्रांत की विधान-परिषद् के सदस्य अलग-अलग मत देंगे और यह निर्णय करेंगे कि प्रांत के लिये ऊपर की सभा बनानी चाहिये अथवा नहीं।''

मैं अपने माननीय मित्र को यह बताना चाहूंगा कि यदि उनकी इस संशोधन के पेश करने की इच्छा ही थी तो उनके लिये यह उचित होता कि वे अपने उन सहयोगियों से जो कि उड़ीसा व्यवस्थापिका के सदस्य हैं यहां यह परामर्श करते कि इस संशोधन का प्रांत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं इस संशोधन का विरोध नहीं करता यदि इसका आशय प्रांत को ऊपर की सभा स्थापित करने के लिये बाध्य करने से नहीं होता।

प्रत्यक्ष रूप से श्री साहू का संशोधन पेश करने से यह उद्देश्य है कि उड़ीसा की रियासतों का उड़ीसा प्रांत में सम्मिलित होना आसान हो जाये। यदि उनका उद्देश्य यही है तो मैं उनको यह बता दूं कि वे ऐसे किसी संशोधन के अभाव में भी ऐसा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि यूनियन के विधान के मसविदे के वाक्यखंड 3 में वह व्यवस्था कर दी गई है जिसके द्वारा जो रियासतें प्रांतों में मिलना चाहती हैं वे मिल सकती हैं, और इसके लिये पार्लियामेंट के एक्ट आवश्यक होंगे। यूनियन-विधान का वाक्यखंड 3 इस प्रकार है:

[श्री राजकृष्ण बोस]

''संघ की पार्लियामेंट, एक्ट द्वारा प्रत्येक प्रान्त की धारा-सभा तथा प्रत्येक रियासत की धारा-सभा की मर्जी से जिस पर उस (एक्ट) का प्रभाव पड़ता हो;

(क) एक नई प्रादेशिक इकाई बना सकती है;

(ख) किसी प्रादेशिक इकाई का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है;

(ग) किसी प्रादेशिक इकाई का क्षेत्रफल घटा सकती है;

(घ) किसी प्रादेशिक इकाई की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है; और उसी प्रकार की मर्जी से ऐसी प्रासंगिक तथा परिणामभूत व्यवस्थायें कर सकती है जिसको वह आवश्यक तथा उचित समझे।''

श्रीमान् जी, मैं नहीं जानता हूं कि जो कुछ साहू साहब चाहते हैं वह होने को है या नहीं, और यदि है तो कब और किस प्रकार; क्योंकि मैं जानता हूं कि विगत कुछ महीनों से ही नहीं वरन् गत कुछ वर्षों से उड़ीसा के प्रमुख व्यक्ति उड़ीसा की रियासतों को जिनकी संख्या 26 है उड़ीसा प्रांत में मिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन अभी तक वे सफल नहीं हुये। मान लीजिये उनके प्रयत्न सफल होते हैं और कुछ या सब रियासतें उड़ीसा प्रांत में मिलने के लिये राजी हो जाती हैं तो यूनियन-विधान के मसविदे के वाक्य-खंड 3 में संघ की पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा इस प्रकार की प्रादेशिक इकाई बनाने की व्यवस्था है। उस हालत में प्रत्येक भारतीय रियासत की धारा-सभा को जिस पर इसका प्रभाव पड़ता है ऐसी इकाई बनाने के सम्बन्ध में अपनी इच्छा प्रकट करनी पड़ेगी। श्रीमान् जी, जब ऐसी व्यवस्था यूनियन-विधान में है तो न मालूम क्यों साहू साहब ने यह संशोधन पेश किया है। वस्तुतः यह संशोधन प्रांत को ऊपर की सभा स्थापित करने के लिये बाध्य करेगा जिसकी वहां कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये यह संशोधन व्यर्थ है। दूसरा संशोधन जो साहू साहब ने पेश किया है इस बात की व्यवस्था रखता है कि यदि परिस्थिति उत्पन्न हो जाये तो मतदाता सदस्यों को हटा सकें। उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड में ऐसी व्यवस्था है। मुझे विशवास है कि स्विट्जरलैंड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यदि ऐसी कहीं व्यवस्था है तो वह अमेरिका के कुछ राज्यों में है। लेकिन हमारे देश को वर्तमान दशा में, जहां कि लोकतंत्र राज्य अभी आरम्भ ही हुआ है, इस प्रकार की व्यवस्था करना अनुचित होगा और व्यर्थ ही उम्मीदवारों

के लिये निर्वाचन क्षेत्रों को रण-क्षेत्र बनाने में सहायक होगा तथा उनको प्रतिद्वन्द्वी राजनैतिक दलों का शिकार बनायेगा। मैं इसलिये दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं।

***श्री जयपाल सिंह** (बिहार: जनरल): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि वाक्य-खंड 19 है उसका उसी रूप में समर्थन करते हुये मुझे बड़ी खुशी है। इसके साथ ही साथ आसाम के सदस्यों ने आसाम की पहाड़ी स्थिति, दुर्गमता, दूर-दूर बसी हुई आबादी तथा और सब ऐसी भौगोलिक कठिनाइयां अंकित करते हुये जो चित्र उपस्थित किया है उसके पक्ष में भी मेरा कुछ-कुछ झुकाव है। परन्तु इसका मुझे पूर्ण निश्चय है कि जो संशोधन एक लाख के अलावा दो लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भेजने के सम्बन्ध में पेश किया गया है, इस परिषद् द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। यदि कुछ करना है तो हमें दूसरी दिशा की ओर बढ़ना चाहिये और प्रतिनिधित्व का जहां तक हो सके अधिक से अधिक विस्तृत आधार बनाना चाहिये और एक लाख की संख्या को कुछ कम कर देना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि वह संख्या 35,000 हो, 10,000 हो अथवा 50,000 हो। मेरे ख्याल से हमें वर्तमान प्रणाली में साध्य बातों पर गौर करना है। यदि हम वास्तव में प्रजातंत्रीय होना चाहते हैं तो वैसे ही हमारे प्रतिनिधि होने चाहियें और प्रतिनिधित्व का जितना अधिक हो सके विस्तृत आधार बनाना चाहिये। यहां हम संख्या को एक लाख से अधिक बड़ा नहीं कर सकते। आसाम प्रांत की दुर्गम तथा पहाड़ी स्थिति का अच्छा दृश्य हमारे सामने उपस्थित किया है। यह सत्य है और समस्त भारत में आदिवासियों के अधिकतर क्षेत्रों की यही विशिष्टता है। मैं छोटा नागपुर (पठार, झारखंड) का निवासी हूं, जो उतना ही पहाड़ी और उतना ही दुर्गम है जितने कि वे कुछ प्रदेश जिनका वर्णन मेरे मित्र श्री गोपीनाथ बारदोलोई आसाम वालों ने किया है। यदि निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमा न्यून जनसंख्या के आधार पर निर्धारित नहीं की जाती है तो इसका केवल यही आशय होगा कि चुनावों का लोगों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिन लोगों की हम वोट लेना चाहते हैं उन लोगों में रुचि पैदा करना कठिन होगा।

श्री मुहम्मद सादुल्ला ने अपने संशोधन में यह बताया है कि वे यह नहीं चाहते कि कोई सभा बहुत बड़ी और बेकाबू हो। उन्होंने हमें एक ऐसी संख्या बताई है कि जिसको और अधिक बढ़ाना वे नहीं चाहते। यह सब ठीक है लेकिन अध्यक्ष महोदय, संस्कृति तथा भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्विभाजन तथा सीमा

[श्री जयपाल सिंह]

निर्धारण के सम्बन्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एजेन्टों के विचारों को मैं बहुत कुछ सुनता रहा हूं और पढ़ता रहा हूं। 16 वर्ष पहले का कराची का अल्पसंख्यकों सम्बन्धी प्रसिद्ध प्रस्ताव और अभी-अभी आंध्र, केराला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाकौशल, मिथला और झारखंड जैसे क्षेत्रों की जबरदस्त मांगें हमारे सामने हैं। मुझे यह नहीं मालूम कि कुछ क्षेत्र रह तो नहीं गये हैं लेकिन ये क्षेत्र अवश्य ऐसे हैं जो अपनी यह मांग पेश करते चले आ रहे हैं कि वर्तमान बड़े और बेकाबू तथा अप्राकृतिक प्रांतों की फिर से सीमा निर्धारित होनी चाहिये। मुझे आशा है कि सीमाओं का निर्धारण होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगी, कराची के अल्पसंख्यकों सम्बन्धी प्रस्ताव का आदर करेगी और इस स्वप्न को क्रियान्वित करने का शीघ्र ही प्रयत्न करेगी। उस दशा में मैं विचार करता हूं कि गणित के हिसाब से मि. मुहम्मद सादुल्ला का डर बिलकुल ही निकल जायेगा।

श्रीमान् जी, पादरी निकोल्सराय ने जो प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध में मैं अपने आपको भद्दी अवस्था में पाता हूं। स्वयं कबायली होने के कारण और यह अनुभव करते हुये कि आदिवासियों का देश की भावी प्रजातंत्र व्यवस्था में प्रभावशाली प्रतिनिधित्व होना चाहिये, मैं एक समस्या से स्वयं भयभीत हूं कि दशवर्षीय 1941 ई. की जनगणना में लगभग 177 कबायली जातियां हैं। यदि हम इसे स्वीकार कर लें तो कबायलियों के प्रत्येक दल का प्रतिनिधित्व होना चाहिये–यही मोटे रूप में पादरी साहब ने हमारे सामने रखा है। उन्होंने एक संख्या का जिक्र किया है–वह संख्या आसाम के विशिष्ट दलों के शामिल करने से आशय रखती है। यदि हम इस आधार पर कार्य करें तो मुझे भय है 1,000 तक की कम संख्या से भी–यदि एक हजार लोग अपना प्रतिनिधि भेजें–यह आशय होगा कि कोई न कोई छूट जायेगा। मेरे विचार से कहीं न कहीं तो हमें इसका अन्त करना ही है और मैं यह अनुभव करता हूं कि जो संख्या प्रस्तावक महोदय ने अपने वाक्यखंड में बताई है–अर्थात् एक लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि–वह ठीक है और उसका समर्थन करने में मुझे खुशी है।

***श्री खांडूभाई देसाई:** श्रीमान् जी, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय पर अब राय ले ली जाये।

***अध्यक्ष:** विषय पर बहस बन्द करने का प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। अब प्रस्तावक महोदय बहस का उत्तर दें।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** श्रीमान् जी, वाद-विवाद के समय अनेकों संशोधन पेश किये गये उनमें से कुछ संशोधनों का वक्ताओं ने विरोध भी किया है। वाद-विवाद का निचोड़ यह है कि दो संशोधनों को स्वीकार कर लेना चाहिये। पहला संशोधन श्री सिधवा का है जो यह व्यवस्था रखता है कि वाक्य-खंड 2 में कम से कम संख्या 50 को 60 कर दिया जाये। दूसरा संशोधन सादुल्ला साहब का है जो यह व्यवस्था रखता है कि अधिक से अधिक संख्या 300 नियत की जाये। केवल इन दो संशोधनों के जिनको स्वीकार करने का मैं प्रस्ताव करता हूं; शेष संशोधनों का मैं विरोध करूंगा।

उड़ीसा के एक मित्र ने एक संशोधन पेश किया है जिसमें यह सुझाया गया है कि आसाम प्रांत में ऊपर की सभा होनी चाहिये। मैं नहीं समझता कि इसके लिये किसी संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि प्रस्ताव में स्वयं यह व्यवस्था की गई है कि यह प्रांत की मर्जी पर निर्भर है कि वह ऊपर की सभा रखे अथवा नहीं। ठीक तो यह है कि वे इस बात को अपने प्रांत की परिषद् में कहते। वे अपने संशोधन को यहां इसलिये रख रहे हैं कि उनको भय है कि शायद प्रांत की परिषद् में वे सफल न हो सकें। लेकिन हम प्रांत की इच्छा के विरुद्ध उस पर ऊपर की सभा लादना नहीं चाहते हैं। हाँ उड़ीसा प्रांत में अब ऊपर की सभा नहीं है और उड़ीसा के एक दूसरे मित्र ने इसी हाउस में इस प्रस्ताव का, जोकि उड़ीसा में ऐसी सभा की स्थापना करने के पक्ष में हैं, विरोध किया है। कदाचित इस प्रयत्न में उन्हें सफल होने का कोई अवसर नहीं है। इसलिये हम भी उसे क्यों स्वीकार करें?

उन्होंने एक दूसरा संशोधन भी पेश किया है जिसमें वे चाहते हैं कि मतदाताओं को विधान द्वारा यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि जिस सदस्य ने अपने निर्वाचन-क्षेत्र में विश्वास खो दिया है उसे वे हटा सकते हैं। मैं ऐसी व्यवस्था रखने का कोई कारण नहीं देखता हूँ। मेरे विचार से तो यह चुने हुये सदस्य के सम्मान पर छोड़ देना चाहिये। जब वह यह अनुभव करे कि निर्वाचन-क्षेत्र का उस पर विश्वास नहीं रहा तो इसकी अपेक्षा कि उसे हटाने के लिये बाध्य किया जाये तथा इस प्रकार की व्यवस्था विधान में रखी जाये उसे खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिये। एक बुद्धिमान सदस्य सदा अपने निर्वाचन-क्षेत्र की नब्ज टटोलता रहेगा। मेरे विचार से ऐसी व्यवस्था रखने की अपेक्षा हम सदस्यों में उत्तरदायित्व की पुष्ट भावना तथा सम्मान के भावों को समुन्नत करने का प्रयत्न करें। यदि कोई विरला उदाहरण या कोई ऐसा नीच सदस्य हो जो निर्वाचन-क्षेत्र का विश्वास खोकर भी हाउस में सदस्य बना रहना चाहता है तो ऐसे बुरे उदाहरणों के लिये हमें अपने विधान को कुरूप नहीं

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

करना चाहिये। हमें इस बात को सम्बन्धित सदस्य की शुभ भावना पर ही छोड़ देना चाहिये।

आसाम के एक दोस्त ने, जिसमें क्षुद्रता का भाव भरा हुआ विदित होता है, यह सुझाव रखा है कि आसाम के साथ हमेशा खास बर्ताव करना चाहिये। यह बधाई देने का विषय है कि स्त्रियों ने आगे बढ़कर यह कहा है कि वे कोई विशेष व्यवहार नहीं चाहती हैं, परन्तु इसके साथ ही साथ यह खेद का विषय है कि पुरुष अभी उस स्तर की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। हम यह आशा करें कि इस विधान में ऐसी कोई भी व्यवस्था न रखी जायेगी जिसका स्त्रियां विरोध करें और पुरुषों के वह पक्ष में हो।

यह कहा गया है कि कबायली तथा ऐसे ही कुछ क्षेत्रों के लिये प्रतिनिधित्व के विषय में कुछ रियायत की जाये। सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि इस अभिप्राय के लिये नियुक्त की गई विशेष कमेटी इस विषय पर मुख्यतः विचार करेगी। अभी हमें कबायली तथा पृथक क्षेत्रों की सब-कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और हम उनके कार्य अथवा स्वतंत्र निर्णय में विघ्न डालना नहीं चाहेंगे। उनके एक स्वतंत्र रिपोर्ट बनाने के अधिकार में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसलिये मैं यह सुझाव पेश करूंगा कि अभी हमें इस प्रश्न पर विचार नहीं करना चाहिये, बल्कि इस वाक्यखंड में जिस सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है उसे स्वीकार कर लेना चाहिये। सब-कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद यदि इस वाक्य-खंड में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो वह इसमें शामिल कर दी जायेगी।

मेरे ख्याल से मुझे अब इससे अधिक नहीं कहना चाहिये। हमने पूरे दो घंटे तक वाद-विवाद किया है और अनेक तर्क जो उठाये गये थे उनका उत्तर दे दिया गया है। इसलिये अब मैं इस वाक्य-खंड को, उन दो संशोधनों के साथ जिनका मैंने उल्लेख किया है, हाउस की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

***मौलवी सैयद मुहम्मद सादुल्लाः** श्रीमान् जी, मैं अपने संशोधन को वापस करने की आज्ञा चाहता हूं।

(परिषद् की आज्ञा से संशोधन वापिस किया गया।)

***श्री अमिय कुमार दास:** श्रीमान् जी, मैं भी अपने संशोधन को वापस करने को आज्ञा चाहता हूँ।

(परिषद् की आज्ञा से संशोधन वापिस किया गया।)

***अध्यक्ष:** अब हम सादुल्ला साहब द्वारा पेश किये गये दूसरे संशोधन को लेते हैं:

''वाक्य-खंड 19 के उपवाक्य-खंड (2) में 'किसी प्रान्त' शब्दों के पश्चात् 'और अधिक से अधिक 300' शब्द बढ़ा दिये जायें।''

मैं समझता हूं कि इस संशोधन को प्रस्तावक महोदय ने तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन यह हाउस द्वारा भी स्वीकृत होना चाहिये।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** इसके पश्चात् श्री सिधवा द्वारा पेश किया गया संशोधन है:

''वाक्य-खंड 19 के उपवाक्य-खंड (2) में संख्या 50 के स्थान में संख्या 60 कर दी जाये।''

इस संशोधन को भी, मैं समझता हूं प्रस्तावक महोदय ने स्वीकार कर लिया है, परन्तु हाउस द्वारा भी इसे स्वीकार करना है।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** इसके पश्चात् पादरी निकोल्सराय का संशोधन है कि:

''वाक्य खंड 19 के उपवाक्य खंड (2) में निम्नलिखित व्यवस्था जोड दी जाये:

'बशर्ते कि उन प्रादेशिक क्षेत्र अथवा क्षेत्रों को जिनमें पहाड़ी कौमें रहती हों, प्रतिनिधित्व देने के लिये प्रान्तीय सरकार एक लाख से कम जनसंख्या के आधार का निर्णय कर सकती है तथा कुल प्रतिनिधियों की संख्या तदनुसार बढ़ा दी जायेगी'।''

***श्री के. सन्तानम्** (मद्रास: जनरल): श्रीमान् जी, एक वैधानिक आपत्ति है, यह विषय एडवाइज़री कमेटी के सम्बन्ध का है।

***अध्यक्ष:** मेरे ख्याल से अब इसके लिये काफी विलम्ब हो गया है। संशोधन यहां पेश हो चुका है और उस पर वाद-विवाद भी हो चुका है। मैं यह मानता हूं कि यदि एडवाइज़री कमेटी को इस प्रश्न पर कोई सुझाव पेश करना होगा तो हाउस उस पर विचार कर लेगा।

माननीय रेवरेन्ड जे.एम. निकोल्स राय: श्रीमान जी, जैसा कि माननीय प्रस्तावक सरदार पटेल कहते हैं कि इस प्रश्न पर पृथक और आंशिक पृथक क्षेत्रों पर विचार करने वाली एडवाइज़री सब-कमेटी विचार करेगी और उस सब-कमेटी की सिफरिशों पर यह हाउस वाद-विवाद करेगा तथा यह वाक्य-खंड उस सब-कमेटी की सिफारिशों के अधीन होगा। मैं अपने संशोधन पर जोर देने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। मैं उसे वापस लेना चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** मेरे ख्याल से इस विषय पर एडवाइज़री कमेटी विचार करेगी और उसकी सिफारिशें हाउस के सामने आयेंगी। मैं यह मानता हूं कि हाउस श्री निकोल्सराय को अपना संशोधन वापस लेने की आज्ञा देता है।

परिषद् की आज्ञा से संशोधन वापस हुआ।

संशोधन संख्या 13

अध्यक्ष: श्री लक्ष्मीनारायण साहू के दो संशोधन हैं। क्या माननीय सदस्य उनको रखना चाहते हैं?

***श्री लक्ष्मीनारायण साहू:** श्रीमान जी, मैं दोनों को वापस लेना चाहता हूं।

परिषद् की आज्ञा से संशोधन वापस हुये।

***अध्यक्ष:** अब मैं संशोधित वाक्यखंड पर वोट लूंगा। मेरे ख्याल से संशोधित वाक्यखंड को पढ़ना मेरे लिये आवश्यक नहीं है।

मौलाना हसरत मोहानी (संयुक्त प्रान्त: मुस्लिम): श्रीमान जी, मैं समस्त वाक्यखंड का विरोध करता हूं और इस सिलसिले में मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। क्या आप मुझे इसके लिये इजाज़त देंगे?

***अध्यक्ष:** वाक्यखंड पर अभी-अभी लम्बी बहस हो चुकी है और संशोधनों पर भी।

***मौलाना हसरत मोहानी:** मेरे राजनैतिक विचारों के सम्बन्ध में सरदार पटेल और नेहरू ने कुछ गलतफहमियां पैदा कर दी हैं। मुझे इन गलतफहमियों को दूर करने का मौका न मिला। यदि आप मुझे चंद मिनट दे दें तो मैं अपने उन विचारों को प्रकट करूं।

***अध्यक्ष:** अब और अधिक वाद-विवाद करने के लिये काफी देर हो गई है। यदि मौलाना साहब भाषणों को सुनते और अन्य सदस्यों से बातें करने में न लगे रहते तो उन्हें अवसर मिल जाता।

***मौलाना हसरत मोहानी:** श्रीमान जी, मैं पूरे वाक्यखंड का विरोध करता हूं तथा इस रिपोर्ट का भी और मैं चाहता हूं कि इस बात को दर्ज कर लिया जाये कि मैं इस सबका उस समय विरोध करता हूं जब कि आप संशोधित प्रस्ताव को हाउस में वोट लेने के लिये रखते हैं।

***अध्यक्ष:** मैं अब संशोधित वाक्य-खंड पर राय लेता हूं।

विषय यह है कि:

''वाक्य-खंड 19 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वाक्य-खंड 20

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** श्रीमान जी, मैं वाक्यखंड 20 पेश करता हूं:

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

''प्रान्तीय व्यवस्थापिका का अधिवेशन करने, उसे स्थगित करने और समाप्त करने के बारे में आदेश, दो सभाओं के आपस के सम्बन्ध (जहां दो सभायें हों), वोट देने की प्रणाली, सदस्यों के अधिकार, सदस्यता के लिये अयोग्यता, सभा-संचालन पद्धति जिसमें आर्थिक मामलों से सम्बन्धित पद्धति भी सम्मिलित है इत्यादि, सन् 1935 के एक्ट में इस सम्बन्ध में जो आदेश हैं उनके आधार पर होंगे।''

मैं समझता हूं कि अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर अन्तिम लाइन में कुछ संशोधन पेश करने वाले हैं अर्थात् ''सन् 1935 ई. के एक्ट में इस सम्बन्ध में जो आदेश हैं, उनके आधार पर होंगे'' इस लाइन में। इसके स्थान में वे इससे अच्छी बात का सुझाव रख रहे हैं जो अधिक व्यापक होगी और ब्रिटिश पार्लियामेंट की पद्धति के आधार पर होगी। जब वे इस संशोधन को पेश करेंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। वरना यह वाक्यांश सीधा-साधा है और हाउस की स्वीकृति के लिये मैं इसे पेश करता हूं।

(श्री शिब्बनलाल सक्सेना ने अपना संशोधन नं. 25 पेश नहीं किया।)

***सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर:** श्रीमान जी, जिस रूप में वाक्यांश प्रस्तावित किया गया है उसमें मुझे संशोधन पेश करना है। इसके दो भाग हैं। इसके पहले भाग के सम्बन्ध में कुछ क्षेत्रों में मतभेद था कि इसको इस स्थिति में रखना चाहिये या नहीं और यह बाद में लिया जा सकता है या नहीं। अभी मैं इस बात पर कोई जोर नहीं दे रहा हूं। यद्यपि मैं यह विचार करता हूं कि इस भाग पर भी काफी कहा जा सकता है। पहला भाग उस संशोधन का यह है कि:

''वाक्य-खंड 20 के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये:

'सन् 1935 ई. के भारत सरकार के एक्ट की धारा 71 के आदेशों में निम्नलिखित परिवर्तन के साथ–

धारा 71 की उप-धारा (1) में ''चेम्बर द्वारा या उसकी आज्ञा से ऐसी व्यवस्थापिका के प्रकाशन के सम्बन्ध में'' शब्दों के पश्चात् ''या ऐसी कार्यवाहियों की सही रिपोर्ट' जोड़ दिया जाये'।''

मेरा विश्वास है कि किसी ऐसे आदेश की आवश्यकता है लेकिन चूंकि कुछ क्षेत्रों में यह अनुभव किया गया है कि इस भाग की अभी और परीक्षा करने की जरूरत है। मैं इस पर अभी जोर नहीं दे रहा हूं। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि बाद की कार्यवाहियों में इसको फिर रखा जाये।

मेरे संशोधन का दूसरा भाग इस प्रकार है:

''सन् 1935 ई. के भारत सरकार के एक्ट की धारा 71 की उप-धारायें (3) और (4) के स्थान में निम्नलिखित रखा जाये:

'प्रान्त की व्यवस्थापिका के सदस्यों को वे अधिकार, विशेषाधिकार और राजनियमों से छुटकारे सम्बन्धी अधिकार प्राप्त होंगे जो प्रान्तीय व्यवस्थापिका द्वारा घोषित किये जायेंगे। जब तक घोषित नहीं किये जाते हैं तब तक उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट की लोक-सभा के सदस्यों के समान उपरोक्त अधिकार रहेंगे। इस विधान के लागू होने पर उसके अनुसार सदस्यों और उसकी कमेटियों को अधिकार प्राप्त होंगे'।''

श्रीमान जी, यदि आप धारा 71 को देखेंगे तो आप विशेषाधिकारों को बहुत सीमित पायेंगे। व्यवस्थापिका को अपने सदस्यों को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है तथा और दूसरे प्रतिबन्ध भी हैं। जैसा कि बताया गया है, यह अनुभव किया गया है कि हमारी व्यवस्थापिका सभा को वे पूर्ण अधिकार प्राप्त होने चाहियें जो कि लोक-सभा को हैं, इस बात की गुंजाइश रखते हुये कि व्यवस्थापिका सभायें बाद में स्वयं इस सम्बन्ध में अपने आदेश दे सकती हैं। इस संशोधन का यही उद्देश्य है। यदि ऐसी भावना हो कि स्वतंत्र भारत के विधान में लोक-सभा के हवाला देने की कोई आवश्यकता नहीं है तो बाद में लोक-सभा के विशेष अधिकारों सम्बन्धी समस्त सामग्री को हम एकत्रित कर सकते हैं और उनको वहां रखा जा सकता है। अभी मैं इस बात पर जोर दूंगा क्योंकि लोक-सभा वह परिषद् है जिसे संसार की समस्त परिषदों से अधिक व्यापक विशेषाधिकार प्राप्त हैं।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान् जी, एक वैधानिक आपत्ति है, जबकि विचार-विमर्श हो रहा है एक माननीय सदस्य सिगरेट पी रहे हैं। क्या ऐसा करना नियमानुकूल है? यदि इस बात की आज्ञा दे दी जाती है तो अनेक माननीय सदस्य हाउस में सिगरेट पीने का साहस करेंगे।

***अध्यक्षः** यह इस हाउस की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है और न यह अपनी विगत परम्परा के अनुसार ही है कि कोई भी माननीय सदस्य यहां सिगरेट पीये।

***सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यरः** श्रीमान् जी, मैं यह भी प्रस्ताव रखता हूं। कि ''निम्नलिखित नया वाक्य-खंड 20वें वाक्यखंड के बाद रख दिया जाये। यह एक सारभौतिक आदेश है। मेरा संशोधन इस प्रकार है:

''20-क (1) पद्धति की किसी अनियमितता के बताने पर प्रान्तीय धारा-सभा में हुई किसी कार्यवाही की प्रामाणिकता पर विचार नहीं किया जायेगा।

(2) धारा-सभा के जिस अफसर या अन्य सदस्य को इस एक्ट के द्वारा या इसके अन्तर्गत धारा-सभा में कार्य पद्धति को नियमित करने के लिये या कार्यवाही का संचालन करने के लिये या व्यवस्था कायम रखने के लिये जो अधिकार दिये गये हैं, उनको प्रयोग में लाने के सम्बन्ध में वह किसी भी अदालत के अधिकार-क्षेत्र के अधीन नहीं होगा।''

यह बहुत हितकारी तथा आवश्यक व्यवस्था है क्योंकि किसी व्यक्ति को किसी भी कानून की प्रामाणिकता पर दावा करने का अधिकार इस आधार पर नहीं होना चाहिये कि किसी विशेष नियम या व्यवस्था का पालन उस कानून के बनाने में नहीं किया गया। यह वह आदेश है जिसे प्रत्येक भारतीय सरकार के एक्ट में स्थान मिला है। यह बहुत लाभदायक व्यवस्था है, इसलिये मैं हाउस से प्रार्थना करूंगा कि उपरोक्त बातों के कारण वह इस संशोधन को स्वीकार करे।

***अध्यक्षः** और कोई दूसरा संशोधन नहीं है। इसलिये मूल प्रस्ताव तथा संशोधनों पर बहस आरम्भ हो सकती है। कोई भी सदस्य प्रस्ताव पर अथवा संशोधन पर बोल सकता है। *(कोई सदस्य बोलने खड़ा न हुआ।)* मैं देखता हूं कि कोई भी सदस्य बोलने के लिये उत्सुक नहीं है। इसलिये मैं माननीय प्रस्तावक महोदय से उत्तर देने के लिये निवेदन करूंगा।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** श्रीमान जी, मैं संशोधनों को स्वीकार करता हूं।

***अध्यक्ष:** पहले मुझे वोट लेने के लिये संशोधनों को पेश करना है जिन्हें प्रस्तावक महोदय ने स्वीकार कर लिया है। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने जैसा पहला संशोधन पेश किया है उसको मैं पहले लूंगा।

वह इस प्रकार है कि–

वाक्यांश 20 के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये:

''सन् 1935 ई. के भारत सरकार के एक्ट की धारा 71 के आदेशों में निम्नलिखित परिवर्तनों के साथ–

सन् 1935 ई. के भारत सरकार के एक्ट की धारा 71 की उपधारायें (3) और (4) के स्थान में निम्नलिखित रखा जाये:

'प्रान्त की व्यवस्थापिका के सदस्यों को वे अधिकार, विशेषाधिकार और राजनियमों से छुटकारे सम्बन्धी अधिकार प्राप्त होंगे जो प्रान्तीय व्यवस्थापिका द्वारा घोषित किये जायेंगे। जब तक घोषित नहीं किये जाते हैं तब तक उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट की लोक-सभा के सदस्यों के समान उपरोक्त अधिकार रहेंगे। इस विधान के लागू होने पर उसके अनुसार सदस्यों और उसकी कमेटियों को अधिकार प्राप्त होंगे'।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** मैं सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के दूसरे संशोधन को लेता हूं। वह इस प्रकार है:

''वाक्य-खंड 20 के पश्चात् निम्नलिखित नया वाक्य-खंड रखा जाये:

'20क(1) पद्धति की किसी अनियमितता के बताने पर प्रान्तीय धारा-सभा में हुई किसी कार्यवाही की प्रामाणिकता पर विचार नहीं किया जायेगा।

(2) धारा-सभा के जिस अफसर या अन्य सदस्य को इस एक्ट के द्वारा या इसके अन्तर्गत धारा-सभा में कार्यपद्धति को नियमित करने के

[अध्यक्ष]

लिये या कार्यवाही का संचालन करने के लिये या व्यवस्था कायम रखने के लिये जो अधिकार दिये गये हैं उनको प्रयोग में लाने के सम्बन्ध में वह किसी भी अदालत के अधिकार-क्षेत्र के अधीन नहीं होगा।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्षः प्रश्न है कि:

वाक्यखंड इन दोनों संशोधनों सहित पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्षः अब हम वाक्यखंड 21 को लेते हैं।

वाक्य-खंड 21

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** वाक्यखंड 21 को अभी स्थगित रखे जाने की मैं आज्ञा चाहता हूं क्योंकि यूनियन के विधान में भी वाक्यखंड 16 इसी प्रकार का है और दोनों पर साथ-साथ विचार हो सकता है। दो विधानों में एक सी दो व्यवस्थाओं के होने के कारण यह एक विवादास्पद विषय होगा और कुछ गड़बड़ी होने की सम्भावना भी हो सकती है। इसलिये मैं यह सुझाव रखता हूं कि इस पर अभी विचार स्थगित किया जाये और दोनों पर साथ-साथ विचार किया जाये।

***अध्यक्षः** वाक्य-खंड 21 पर फिर कभी विचार किया जायेगा। हम वाक्यखंड 22 को लेते हैं।

वाक्य-खंड 22

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** श्रीमान्जी, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं।

''प्रान्तीय व्यवस्थापिका निम्नलिखित विषयों या उनमें से किसी विषय के बारे में समय-समय पर आदेश बना सकेगी, अर्थात्:

(क) निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमा बन्दी।

(ख) मताधिकार के लिये योग्यता और निर्वाचक सूचियों की तैयारी।

(ग) किसी सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिये योग्यता।

(घ) किसी सभा में आकस्मिक रिक्त स्थानों को भरना।

(ङ) इस विधान के अधीन चुनावों का संचालन और उनमें वोट देने के तरीके।

(च) इस चुनावों में उम्मीदवारों के खर्चे।

(छ) इन चुनावों में या इनके सम्बन्ध में नाजायज तरीकों को काम में लाना और दूसरे अपराध।

(ज) इन चुनावों से तथा इनके सम्बन्ध में पैदा होने वाले सन्देहों और झगड़ों का निर्णय।

(झ) ऐसे मामले जो उपरोक्त किसी मामले से सम्बन्ध रखते हों। परन्तु शर्त यह है कि:

(1) नीचे की सभा का कोई सदस्य 25 वर्ष से कम आयु का न होगा और ऊपर की सभा का कोई भी सदस्य 35 वर्ष से कम आयु का न होगा।

(2) निर्वाचनों की व्यवस्था, उनके निर्देशन और उन पर नियन्त्रण रखने के अधिकार, जिसमें निर्वाचन सम्बन्धी ट्रिब्युनलों की नियुक्ति भी सम्मिलित है, गवर्नर को होगा और वह अपने विवेक से काम करेगा।''

शायद व्यवस्था (2) के हटाने का प्रस्ताव पेश होगा और मैं उसे स्वीकार कर लूंगा क्योंकि उसके लिये दूसरा आदेश बना दिया गया है। श्रीमान्जी, मैं इस प्रस्ताव को हाउस की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

***श्री के. सन्तानम्:** श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि:

''वाक्यखंड 22 में ''समय-समय पर'' शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें:–

'प्रान्तीय विधान में संशोधन रखने की पद्धति के अनुसार'।''

[श्री के. सन्तानम्]

वाक्यखंड के वर्तमान स्वरूप के अनुसार केवल एक साधारण कानून से ऐसे-ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में परिवर्तन किया जा सकता है जैसे कि निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमाबन्दी, मताधिकार के लिये योग्यता और निर्वाचक सूचियों की तैयारी। इसका आशय यह होगा कि जनमत के क्षणिक आवेश द्वारा एक साधारण बहुमत प्रान्तीय विधान के समूचे आधार को उलट-पलट सकता है। वह अपने हित के लिये निर्वाचन-क्षेत्रों को बदल सकता है और ऐसे परिवर्तन कर सकता है जो हाउस को समाप्त कर दे और एक बड़े बहुमत से फिर अधिकार प्राप्त कर ले। इस कारण कुछ प्रतिबन्धों की आवश्यकता है। मैं निवेदन करता हूं कि यह परिवर्तन प्रान्तीय विधान में संशोधन करने की पद्धति के अनुसार ही किये जायें। वर्तमान रिपोर्ट में प्रांतीय विधान में संशोधन करने की पद्धति का निर्धारण नहीं किया गया है लेकिन मैंने इस आशय का एक वाक्यखंड बना लिया है। पद्धति में अनेकों आदेश हो सकते हैं, प्रान्तीय विधान का कुछ भाग किसी एक पद्धति द्वारा बदला जा सकता है और कुछ भागों के लिये बड़ी विस्तृत पद्धति की आवश्यकता हो सकती है। जो कुछ भी हो, इन विषयों में केवल उस पद्धति द्वारा ही परिवर्तन किया जाना चाहिये जो विशेषकर इसीके लिये निर्धारित की गई हो। साधारण कानून द्वारा इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिये। मुझे आशा है कि हाउस इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

(डा. पी.एस. देशमुख ने अपना संशोधन पेश नहीं किया।)

***श्री के. सन्तानम्:** श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि:

''वाक्य-खंड 22 के (ख) भाग में 'मताधिकार के लिये योग्यता' शब्दों के स्थान में निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें:

'व्यक्तिगत अयोग्यताओं अथवा निवास-गृह न होने के कारण वयस्क मताधिकार की परिमिततायें जो कि जन्म, कौम, धर्म या जाति के आधार पर न हो'।''

श्रीमान् जी, समस्त योजना का आधार वयस्क मताधिकार है। मेरा संशोधन केवल उसे स्पष्ट करता है कि मताधिकार के लिये योग्यताओं से यह आशय नहीं है कि यह कोई अधिकार है जो किसी दूसरे को दिया जा सकता है।

वयस्कों के लिये भी कुछ योग्यताओं का होना आवश्यक है, विशेषकर निवास-गृह के आधार पर तथा व्यक्तिगत अयोग्यतायें जैसे पागलपन, कैद तथा और ऐसे ही अन्य आधारों पर। मैं यह व्यवस्था रखना चाहता हूं कि इनके अलावा वयस्क मताधिकार के लिये अन्य कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये।

(सर्वश्री गोकुल भाई भट्ट और वी.सी. केशवराव ने अपने संशोधन पेश नहीं किये।)

***अध्यक्षः** मैं समझता हूं कि प्रस्तावक महोदय श्री खुरशेद लाल के संशोधन को स्वीकार करने के पक्ष में हैं जो वाक्य-खंड 22 के दूसरे आदेश के हटाने के सम्बन्ध का है। श्री खुरशेद की अनुपस्थिति में क्या कोई अन्य सदस्य उसको पेश करेगा?

***श्री के.एम. मुन्शी** (बम्बईः जनरल)ः आपकी आज्ञा से मैं उसे पेश करूंगा। मैं वाक्यखंड 22 के दूसरे आदेश को हटाने का संशोधन पेश करता हूं। इसको हटाने का यह कारण है कि यूनियन विधान कमेटी की रिपोर्ट में एक ऐसा आदेश आने वाला है जिसके द्वारा अखिल भारतीय निर्वाचन ट्रिब्यूनल बनेगा, जिसे समस्त निर्वाचन की केवल फेडरल की ही नहीं वरन् प्रान्तीय निर्वाचन की भी व्यवस्था, उनके निर्देशन और उन पर नियंत्रण रखने के अधिकार होंगे। इसलिये गवर्नर को अपने विवेक से कार्य करने का अधिकार देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(सर्वश्री काला वेन्कटराव और के. सन्तानम् ने अपने संशोधन पेश नहीं किये।)

***श्री एच.वी. कामतः** मेरा संशोधन वाक्य-खंड 22 में एक नया आदेश रखने के सम्बन्ध में है जो कि पृथक निर्वाचन और अधिक प्रतिनिधित्व के संरक्षण के महत्वपूर्ण विषय को प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के अधिकार-क्षेत्र से पृथक करने के लिये है। लेकिन मुझसे कहा गया है कि अल्पसंख्यकों सम्बन्धी एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट में इस विषय को तथा अन्य तत्सम्बन्धी विषयों को ले लिया गया है। इसलिये जब तक उनकी रिपोर्ट पर विचार नहीं होता है तब तक मेरे संशोधन के पेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिये मैं उस पर जोर नहीं देना चाहता। वह संशोधन इस प्रकार है कि:-

[श्री एच.वी. कामत]

''वाक्य-खंड 22 में निम्नलिखित को आदेश 3 के रूप में रखा जाये:

'कोई प्रान्तीय व्यवस्थापिका किसी समय प्रान्तीय धारा-सभा में तथा प्रान्त की अन्य निर्वाचन के अधिकार रखने वाली संस्थाओं में किसी विशेष वर्ग या जाति के लिये, पृथक मताधिकार के लिये तथा अधिक प्रतिनिधित्व के संरक्षण के लिये आदेश नहीं बना सकेगी'।''

(सर्वश्री टी. ए. रामालिंगम् चैट्टियर और काला वेंकटराव ने अपने संशोधन नं. 108 और 109 पेश नहीं किये।)

(श्री शिब्बललाल सक्सेना ने अपना संशोधन पेश नहीं किया।)

सेठ गोविन्द दास (सी. पी. और बरार: जनरल): सभापति जी, मेरे नाम पर दो सुधार हैं। सप्लीमैंट्री लिस्ट 3 में एक नम्बर चार है और एक नम्बर पांच है। चार मैं पेश नहीं कर रहा हूं। पांचवां मैं पेश करना चाहता हूं और उसकी शब्दावली इस प्रकार है:

''उसके बाद वाक्य-खंड 22 में (क) से (झ) तक सारी व्यवस्थायें यहां संलग्न सूची के आदेशों के अनुसार और उनको पुष्ट करते हुए बनाये जायेंगे जिससे कि समस्त भारतीय संघ में इन विषयों में समानता रहे।''

मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि ''क'' से लेकर ''झ'' तक जितनी बातें इस वाक्य-खंड में दी गई हैं वे सारे हिंदुस्तान में एक प्रकार से लागू हों। जबकि सारा भारत एक यूनियन बनने जा रहा है तब इन धाराओं का विधान एक प्रान्त में एक प्रकार हो और दूसरे प्रांत में दूसरे प्रकार, यह उचित नहीं होगा। इसलिये मैंने यह सुधार पेश किया है और मैं आशा करता हूं कि सरदार पटेल साहब इसको स्वीकार कर लेंगे।

***अध्यक्ष:** श्री काला वेंकटराव के दो संशोधन हैं।

(कोई उत्तर नहीं मिला।)

सब संशोधन पेश हो चुके हैं। जो कोई प्रस्ताव पर अथवा संशोधन पर बोलना चाहते हैं वे अब बोल सकते हैं।

***माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर:** अध्यक्ष महोदय, श्री सन्तानम् ने जो पहला संशोधन पेश किया है उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं।

उस संशोधन को यहां सही बिठाने में मुझे कठिनाई है। उनका प्रस्ताव है कि ''समय-समय पर'' शब्दों के पश्चात् ''प्रांतीय-विधान में संशोधन रखने की पद्धति के अनुसार'' शब्द रख दिये जायें। स्वयं संशोधन के गुणों के विचार से तो जो कुछ उन्होंने कहा उसमें बहुत सार है। प्रत्यक्ष रूप से उनकी योजना यह है कि वाक्य-खंड में दिये हुये विषयों के सिलसिले में जो पहले आदेश बनाये जायेंगे उनको स्वयं विधान में या विधान की सूची में स्थान मिलना चाहिये। वे प्रत्यक्ष रूप से जल्दी में स्वीकृत किये गये संशोधनों के विरुद्ध और क्षणिक आवेश उत्पन्न करने वाले उन विचारों के प्रवाह के विरुद्ध, जो शायद आगे चलकर मान्य ही न हों, संरक्षण चाहते हैं। इसलिये वे ऐसी व्यवस्था रखना चाहते हैं कि प्रांतीय व्यवस्थापिका को विधान की ऐसी सूचियों में प्रांतीय विधान में संशोधन करने की नियत की हुई पद्धति के अनुसार ही संशोधन करना चाहिये। लेकिन यह वाक्य-खंड तो यह कहता है कि इन विषयों से सम्बन्धित पहले कानून प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा बनाये जायेंगे। ''प्रांतीय व्यवस्थापिका निम्नलिखित विषयों या उनमें से किसी विषय के बारे में समय-समय पर आदेश बना सकेगी।'' यदि आप प्रांतीय व्यवस्थापिका को, बिना किसी विशेष रुकावट के, इन विषयों से सम्बन्धित पहले आदेश बनाने के अधिकार देते हैं, जैसा मैं समझता हूं, तो फिर ऐसे आदेश बनाने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि ऐसे आदेशों में संशोधन विधान में संशोधन करने की नियत पद्धति के अनुसार होना चाहिये। मैं समझता हूं कि उनके आशय की पूर्ति के लिये इस वाक्य-खंड का फिर से मसविदा बनाना होगा। हम यह कह सकते हैं कि इन विषयों के सम्बन्ध में पहले आदेशों को विधान की सूची में स्थान मिलना चाहिये और तब आप प्रांतीय व्यवस्थापिका को इन सूचियों में प्रांतीय विधान में संशोधन करने की निर्धारित पद्धति के अनुसार संशोधन करने का अधिकार दे सकते हैं।

एक और भी कठिनाई है। मुझे यकीन हे कि अनुकरणीय विधान का मसविदा प्रांतीय विधान में संशोधन करने की पद्धति का आदेश रखेगा। उसकी भी हमें व्यवस्था करनी है। जहां तक श्री सन्तानम् के संशोधन का सम्बन्ध है, मैं यह सुझाव रखूंगा कि उसको हम रोक लें जिससे कि हम एक ऐसा मसविदा तैयार कर सकें जो कि श्री सन्तानम् के आशय को पूरा कर सके। मैं यह आभास करता हूं कि उनके पेश किये हुये संशोधन को अभी स्वीकार न किया जाये, हम उसको बाद में लें।

***सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यरः** श्रीमान् जी मैं श्री गोपालस्वामी आयंगर के सुझाव का समर्थन करता हूं कि इस वाक्य-खंड पर विचार स्थगित कर

[सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर]

दिया जाये। यदि पहली बात निर्वाचन-क्षेत्रों की हदबन्दी साधारण कानून द्वारा हो सकती है तो यह तर्कसम्मत है कि बाद के परिवर्तन भी साधारण कानून द्वारा किये जा सकते हैं। इसके विपरीत यदि निर्वाचन-क्षेत्रों की हदबन्दी का आदेश विधान में दिया जाता है तो उसके बाद के संशोधन वैधानिक संशोधन होंगे। इसलिये यदि सूची में आप यह बताते हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों की किस प्रकार हदबंदी होगी तो इस प्रकार के आदेश भी आवश्यक होंगे कि बाद के परिवर्तन वैधानिक संशोधन द्वारा होंगे। इन परिस्थितियों में मैं श्री सन्तानम् से निवेदन करूंगा कि अभी वे अपने संशोधन पर जोर न दें।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** मुझे ऐसी बड़ी कठिनाई नहीं मालूम होती जिसका हल खोजने का मेरे यह मित्र प्रयत्न कर रहे हैं। भाग 4 के अन्तर्गत परिवर्तनकाल की व्यवस्थाओं के अनुसार विधान के लागू होने पर भी वर्तमान व्यवस्थापिका कार्य करती रहेगी। अन्यथा विधान के लागू होते ही प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों की हदबन्दी करना और निर्वाचन करना संभव नहीं होगा। इस अरसे में वर्तमान व्यवस्थापिका द्वारा ही प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों की हदबन्दी होगी। वर्तमान व्यवस्थापिका भाग 4 के वाक्य-खंड 2 के अंतर्गत कार्य करेगी। ''मंत्रिमंडल, लेजिस्लेटिव असेम्बली और लेजिस्लेटिव कौंसिल (उन प्रांतों में जो ऊपर की सभा रखने का निर्णय करते हैं) के सम्बन्ध में वैसे ही आदेश आवश्यकता परिवर्तन सहित होंगे।'' पहला आदेश यह है ''इस विधान के लागू होने के निकट पूर्व में कोई व्यक्ति जो प्रांत में गवर्नर के अधिकार ग्रहण किये हुये है उसी प्रकार रहेगा और इस विधान के अन्तर्गत जब तक गवर्नर समझा जायेगा तब तक कि इस विधान के अनुसार निर्वाचित उत्तराधिकारी कार्यभार नहीं संभालता है।'' इसलिये व्यवस्थापिका कायम रहेगी और प्रांतों की हदबन्दी के कार्य को उसे सौंपा जा सकता है। निर्वाचन-क्षेत्रों की प्राथमिक हदबन्दी के बारे में श्री सन्तानम् के संशोधन को बिना किसी कठिनाई के स्वीकार कर लिया जाये। वह व्यवस्थापिका को भली प्रकार सौंपा जा सकता है।

***अध्यक्ष:** क्या कोई और सदस्य प्रस्ताव अथवा संशोधन पर बोलना चाहता है?

***श्री एम.एस. अणे** (दक्षिणी रियासतें): मैं श्री सन्तानम् के दूसरे संशोधन पर बोलना चाहता हूं।

***अध्यक्षः** छः बज चुके हैं, यदि कोई लम्बा वाद-विवाद है तो हम स्थगित कर दें। मैं यह जानना चाहूंगा कि और भी सदस्य बोलना चाहते हैं क्या?

कुछ माननीय सदस्यः ''जी हां''।

***अध्यक्षः** तो स्थगित करने के पूर्व मैं एक या दो घोषणा करना चाहूंगा।

आज सुबह अखबारों में यह समाचार दिये गये हैं कि एक हवाई जहाज जिसमें हमारे एक माननीय सदस्य श्री जगजीवनराम और दो प्राइवेट सेक्रेटरी सफर कर रहे थे, बसरा के पास टकरा गया। माननीय सदस्यों को यह सूचना देते हुये मुझे खुशी है कि श्री जगजीवनराम के कोई ज्यादा चोट नहीं आई है। यद्यपि मैं समझता हूं कि उनके घुटने की एक हड्डी टूट गई है। मुझसे कहा गया है कि अच्छे होने में उन्हें देर नहीं लगेगी। हम यह आशा करें कि वे जल्दी यहां वापस होने योग्य हो जायें और हमारे विचार-विमर्श में भाग लें।

कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि यूनियन कमेटी की रिपोर्ट में संशोधन भेजने के लिये उनको कुछ और अधिक समय चाहिये और चूंकि अभी हमने प्रांतीय विधान पर विचार समाप्त नहीं किया है, मैं उनको संशोधन भेजने के लिये कुछ और समय देने के लिये तैयार हूं–अर्थात् कल सांयकाल के दो बजे तक–जिससे कि संशोधन सोमवार को सायंकाल के दो बजे के पूर्व छप जायें और सदस्यों में बंट जायें।

एक और घोषणा है कि अगले सोमवार से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम सुबह 10 बजे से दोपहर के एक बजे तक बैंठें। अब हम स्थगित करते हैं।

***श्री के.एम. मुंशीः** अल्पसंख्यकों सम्बन्धी सब-कमेटी सोमवार को बैठेगी। उसका समय प्रातःकाल 10 बजे का घोषित किया जा चुका है।

***अध्यक्षः** अनेक सदस्यों ने मुझसे कहा कि जब यह हाउस बैठता है तो उन सदस्यों को जो अल्पसंख्यकों सम्बन्धी सब-कमेटी के भी सदस्य हैं बैठे रहना बहुत असुविधाजनक होगा और दोनों अधिवेशनों के लिये जो कि दिन प्रतिदिन होते रहेंगे उन्हें समय नहीं मिलेगा। अल्पसंख्यकों सम्बन्धी सब-कमेटी की इस मीटिंग की सूचना दी जा चुकी है, लेकिन सदस्यों की बात का विचार करते हुये मैं उसे कुछ दिनों के लिये स्थगित करना पसन्द करूंगा और अन्य कोई तारीख नियत करूंगा जो कि सब सदस्यों के लिये सुविधाजनक हो। समस्त सदस्यों से परामर्श कर तथा उनको सुविधा का विचार कर तारीख की सूचना दे दी जायेगी।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** यदि अल्पसंख्यकों सम्बन्धी सब-कमेटी की बैठक स्थगित की जाती है तो एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट और अन्य

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

सब बातें स्थगित करनी पड़ेंगी, इसलिये उनको अपना समय नियत करने और दोपहर बाद बैठक करने की इजाजत हो जानी चाहिये।

***अध्यक्ष:** मैं समझता हूं कि अन्य सदस्यों को जो दोपहर बाद कार्य लगे रहते हैं। सदस्यों का उपस्थित होना बहुत कठिन होगा। किसी तरह भी सोमवार को दस बजे हम उसकी मीटिंग नहीं कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों सम्बन्धी कमेटी को दोपहर बाद बैठना पड़ेगा।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू** (संयुक्त प्रांत : जनरल): क्या मैं यह जान सकता हूं कि प्रात:काल दस बजे का समय क्यों नियत किया गया है?

***अध्यक्ष:** सदस्यों की सुविधा के लिये अनेक कारणों वश।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू:** न इधर न उधर—या तो जल्दी होता या देर में।

***अध्यक्ष:** मैं सोचता हूं कि बहुत से सदस्यों ने इसे सुविधाजनक समझा है। अल्पसंख्यकों सम्बन्धी सब-कमेटी की बैठक के लिये हम दूसरे समय की सूचना दे देंगे। अब हम सोमवार को दस बजे प्रात:काल सम्मिलित होंगे।

सोमवार तारीख 21 जुलाई 1947 ई. के दिन के दस बजे तक परिषद् स्थगित हुई।

परिशिष्ट

भारतीय विधान-परिषद

प्रांतीय विधान–भाग 1 के वाक्य-खंड 8 पर तत्सम्बन्धी कमेटी की रिपोर्ट।

कमेटी सिफारिश करती है कि:

''वाक्य-खंड 8 का मसविदा फिर से बनाया जाये जो इस प्रकार हो:

'फेडरल गवर्नमेंट से मंजूरी लेकर कोई प्रांत किसी देशी रियासत से समझौते द्वारा किसी व्यवस्था सम्बन्धी, शासन सम्बन्धी या न्याय सम्बन्धी रियासत के कार्य को अपने हाथ में ले सकता है बशर्ते कि उस समझौते में वह विषय हो जो कि प्रान्तीय व्यवस्था सम्बन्धी विषय-सूची या सहगामी व्यवस्था सम्बन्धी विषय-सूची में शामिल है।

ऐसा समझौता हो जाने पर उसकी शर्तों के अधीन प्रांत अपने उचित अधिकारियों द्वारा समझौते में दिये गये व्यवस्था सम्बन्धी, शासन सम्बन्धी या न्याय सम्बन्धी कार्य को करा सकता है'।''

कमेटी की ओर से हस्ताक्षर किये

–बी.एल. मित्तर
सभापति

नई दिल्ली
17 जुलाई सन् 1947 ई.

कमेटी के सदस्य

1. सर बी.एल. मित्तर–सभापति।
2. सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर।
3. मि. इस्माइल चुन्द्रीगर।
4. सर ए. रामास्वामी मुदालियर।
5. डा. बी.आर. अम्बेडकर।
6. श्री के.एम. मुंशी।